ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

जनवरी 2019

अंक 1

विषय सूची

जनवरी 2019
अंक–1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–19

- कॉम्बैट रोल में महिलाओं को शामिल करने की चुनौती
- इंडोनेशिया में सुनामी का नया स्वरूप
- न्यायिक आचरण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
- ऑनलाइन निगरानी और निजता का अधिकार
- स्कूलों में बाल आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति
- जेएआई (JAI) और आरआईसी (RIC) : एक अवलोकन
- बैंकों का पुनर्पूंजीकरण: क्या एक उचित समाधान

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20–25

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 26–32

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 33–41

सात महत्वपूर्ण तथ्य 42

सात महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज 43–44

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 45

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. कॉम्बैट रोल में महिलाओं को शामिल करने की चुनौती

चर्चा का कारण

भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का मानना है कि सेना में महिलाएँ अभी कॉम्बेट रोल (लड़ाकू भूमिका) के लिए तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार अगर महिलाओं को युद्ध मिशन के लिए भेजा जाएगा तो उनके साथ शत्रु सेना के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक बर्बरता किये जाने की संभावना है। साथ ही अगर सेना में एक लेडी ऑफिसर है तो उस लेडी ऑफिसर के लिए अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे अर्थात उन्हें जिस तरह की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होगी वे अभी तैयार नहीं हैं। जनरल रावत ने महिलाओं के कुछ बायोलॉजिकल जरूरतों को भी इसकी एक वजह बतायी उनके मुताबिक इसके अलावा महिलाओं पर बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी होती है।

परिचय

प्राचीन समय से ही महिलाओं ने रण क्षेत्र में अपनी भूमिका को सिद्ध किया है। विभिन्न राजवंशों के तहत महिलाओं ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इसके अलावा विभिन्न राजवंशीय नियमों से गुजरते हुए महिलाओं को न केवल संघर्ष करना पड़ा बल्कि विदेशी शक्तियों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में खुद को बलिदान भी करना पड़ा। ऐसी प्रमुख हस्तियों में रजिया सुल्तान, रानी पद्मावती, झांसी की रानी तथा रानी गैडनल्यु आदि हैं। वर्तमान समय में भी महिलाओं ने अपनी क्षमता, योगदान तथा उपलब्धियों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनायी है।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान समय में महिलाएं सेना में कॉम्बैट रोल के लिए तैयार हैं? आज भी अधिकांश देशों में उन्हें यह रोल प्रदान नहीं किया गया है और सैन्य क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर अधिकारियों का यह मानना है कि वे अभी इस रोल के लिए पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हालाँकि कई उदाहरणों से यह साबित हुआ है कि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं साथ ही महत्वपूर्ण अभियानों से भी गुजर सकती हैं।

सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

भारतीय संदर्भ में: इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है। सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है। वायुसेना में तो महिलाएँ लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं, जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है लेकिन थल सेना में महिलाएँ अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं दिखती हैं।

महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

> **स्थायी कमीशन क्या है?**
>
> सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ है कि उक्त अधिकारी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह सेवानिवृत न हो जाये। स्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, राष्ट्रीय सेना अकादमी देहरादून अथवा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया को ज्वाईन करना होता है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है।

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने राज्यसभा में दिये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रक्षा बलों में 3,578 महिलाएँ कार्यरत हैं। 2017 की स्थिति के अनुसार थल सेना में 1528 महिलाएँ, नौसेना में 469 महिलाएँ और वायु सेना में 1581 महिलाएँ कार्यरत हैं। इनमें चिकित्सा शाखा को शामिल नहीं किया गया है।

विश्व के संदर्भ में: दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां महिलाएँ युद्ध का नेतृत्व करती हैं। जुलाई 2016 में, प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने ब्रिटिश सेना में युद्ध के मैदान में आमने-सामने लड़ने वाली इकाइयों में सेवारत महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया।

अमेरिकी सेना में, महिलाएँ इराक और अफगानिस्तान युद्धों के परिणामस्वरूप, 2002 से प्रत्यक्ष युद्ध में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

1989 से स्वीडिश सेना में किसी भी पद पर कोई लिंग प्रतिबंध नहीं है। ब्रिटिश सर्वेक्षण के अनुसार, यहाँ युद्ध सहित सभी सेवाओं और भूमिकाओं में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध है।

स्पेन में मई 1999 में सशस्त्र बलों के कर्मियों के कानून ने लिंग भेदभाव को समाप्त कर दिया और महिलाओं को किसी भी सेवा में सभी पदों में शामिल होने की अनुमति दी गई। वहीं डच और फिनलैंड भी महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल करते हैं।

1995 में इजरायली रक्षा बलों ने युद्ध की स्थिति में महिलाओं को सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था। यूरोपीय न्यायालय के फैसले के बाद महिलाएँ 2001 में जर्मन युद्ध इकाइयों में शामिल हो गई, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को युद्ध की भूमिका से रोकना लिंग समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

फ्रांस में महिलाएं पनडुब्बियों और दंगा-नियंत्रण को छोड़कर फ्रांसीसी सेना में सेवा दे सकती हैं।

कनाडा में 1989 से सभी सैन्य व्यवसाय महिलाओं के लिए खुल गये। कनाडा में सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2001 में 11.

4% से बढ़कर फरवरी 2017 तक 15.1% हो गया है।

ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी, 2013 से ही महिलाओं को सैन्य क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी गयी है।

कॉम्बैट रोल और महिलाएं: एक विश्लेषण

क्या महिलाओं को सेना में 'कॉम्बैट रोल' दिया जाना चाहिए? भारतीय सेना की तरह ही अमेरिकी सेना को भी साल 2015 के पहले ऐसी ही चिंता थी पर अमेरिका ने इस चिंता को खत्म करने के लिए अध्ययन किया। अध्ययन में कहा गया कि महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल करने के लिए जो नियम बने हैं उन्हें नियमित तौर पर लागू करें, अनुशासनहीनता और गैर-प्रोफेशनल व्यवहार को बदला जाए तथा महिलाओं का यौन शोषण न हो इस बात को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा अमेरिकी सेना की एक और योजना है जिसके अनुसार वह जेंडर न्यूट्रल टेस्टिंग और ट्रेनिंग शुरू करेगी। ताकि इस चिंता को भी खत्म किया जा सके कि महिलाओं के लिए कठिन ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके लिए जवानों को शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है और महिलाओं व पुरुषों को अलग-अलग रखने के बजाय उन्हें साथ-साथ काम करने का मौका देना चाहिए।

1997 की शुरुआत में एक अध्ययन में पाया गया कि सेना में महिलाओं को शामिल करने की वजह से जवानों में आत्मविश्वास बढ़ा। जेंडर इंटीग्रेशन के कारण नैतिक रूप से कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखे। कुछ पुरुषों ने ये भी बताया कि पुरुषों की तुलना में वो महिलाओं से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी तनाव व चिंताओं के बारे में चर्चा कर करते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा अधिक शराब पीने और झगड़े में भी कमी आयी है।

सेना के लिए विचारणीय मुद्दा ये नहीं है कि महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में रखा जाए या नहीं, बल्कि इसे कार्यरूप देने का है। महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन दिए जाने के मामले में ऐसा हो भी चुका है। साथ ही, भारतीय वायु सेना पहले ही तीन महिलाओं को फाइटर पायलट बना चुकी है, जबकि नौसेना ने हाल ही में पुष्टि की है कि महिलाओं को नौसैनिकों के रूप में भर्ती किए जाने पर विचार चल रहा है।

नि:संदेह, सैन्य के मोर्चे पर परिस्थितियाँ बहुत कठोर होती हैं तथा सहकर्मियों और दुश्मनों से निकटता के कारण सामने बहुत चुनौतियां होती हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि यदि इन चुनौतियों के बाद भी महिलाएं भर्ती के लिए आगे आती हैं तो सेना को विरोध नहीं करना चाहिए।

पक्ष में तर्क

हालाँकि भारतीय वायु सेना ने पिछले वर्ष जुलाई में तीन महिलाओं- मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ को पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया। भारतीय नौसेना ने भी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की पेशकश की है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से 7 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने से हुई।

वर्तमान समय में महिलाएं विमानन और सह-सीमा-सुरक्षा बटालियनों से लेकर युद्ध क्षेत्र, चिकित्सा तथा वायु सेना में विभिन्न लड़ाकू ईकाइयों में कार्यरत हैं।

कॉम्बैट रोल मे महिलाओं को शामिल न करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी शारीरिक क्षमता का पुरुषों की तुलना में कम होना माना जाता है। लेकिन कई मैराथन दौड़ों में महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी भी की है। महिलाएँ जैविक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं साथ ही उनकी जीवन प्रत्याशा भी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। कॉम्बैट रोल केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है और इस संदर्भ में भी महिलाओं को कम नहीं समझा जा सकता है क्योंकि कोई भी जन्मजात कमजोर नहीं होता है। शारीरिक शक्ति को उचित पोषण और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान समय में विश्व में रक्षा के क्षेत्र में अनेक आधुनिक हथियारों के आविष्कारों ने कुशलता को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अनुकूल क्षमता, चपलता, अनुशासन, त्वरित सोच, निपुणता, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता की मांग बढ़ गई है जिसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा समान रूप से हासिल किया जा सकता है।

वर्तमान समय में युद्ध द्विपक्षीय नहीं रह गया है। प्रौद्योगिकी की उन्नति ने राष्ट्रों के हाथों में परमाणु बम, अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और राडार निगरानी प्रणाली सहित सामुहिक विनाश के अधिक संभावित हथियार दिये हैं। युद्ध का आधार युद्ध क्षेत्र से हटकर साइबर हमलों जैसे रासायनिक आतंकवाद (Biochemical Terrorism) और आनुवांशिक युद्ध में बदल रहा है। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित टैंक, स्वचालित सैन्य उपकरणों के इस्तेमाल ने युद्ध की तस्वीर ही बदलकर रख दिया है। सेना के अलावा नौ सेना और वायु सेना को पायलट रहित विमान तकनीकों में मांसपेशियों की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि युद्ध में महिलाओं की लैंगिक स्थिति के कारण उनको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अगर कैदी बनायी जाती हैं तो उन पर अत्याचार किया जाएगा। लेकिन मुख्य चिंता शारीरिक पीड़ा की नहीं है बल्कि उनका यौन शोषण है, जो हमें यह कदम उठाने से रोकता है। हालाँकि यह एक संकीर्ण मानसिकता को परिभाषित करता है। क्योंकि महिलाओं के साथ तो देश, समाज और घर की चार दीवारी में भी शोषण की संभावना रहती है। महिलाओं को युद्ध की भूमिकाओं न देने के पीछे का एक अन्य कारण हमारी पुरुषवादी सोच है जो एक पुरुष को रक्षक तथा महिला को असहाय प्राणी के रूप में देखती है। इसके अलावा यह सोच कि महिलाएँ केवल पुरुषों के संरक्षण में ही सुरक्षित रह सकती हैं समझ से परे है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पुरुषों तथा महिलाओं के व्यवहार को लेकर अकसर उठाया जाता है- वह कि पुरुष युद्ध के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनमें आक्रामकता अधिक एवं भावुकता की कमी होती है जबकि महिलाओं को अधिक भावनात्मक, पालनपोषण तथा संवेदनशील के रूप में देखा जाता है। युद्ध क्षेत्र में विजयी होने के तथा प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए सेना का मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है न कि भावनात्मक व्यवहार। महिलाएँ एक माँ की तरह काम करती हैं अगर वे अपने पुत्र को एक सैनिक बना सकतीं हैं तो क्या वे खुद रण क्षेत्र में नहीं लड़ सकती हैं?

विपक्ष में तर्क

सेना में सेवा करने के लिए मजबूत होना जरूरी नहीं है लेकिन वह मानक जो पुरुषों के लिए बनाये गये हैं वैसा ही मानक महिलाओं के लिए भी होना चाहिए तथा शारीरिक मानकों से कोई समझौता नही किया जाना चाहिए।

सामान्य रूप से हमारा शहरी समाज महिलाओं के प्रति ज्यादा जागरूक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बंदिशों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं जो शायद महिला अधिकारियों के साथ सहज महसूस नहीं करते हों।

हमारा देश अभी भी महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में देखने के लिए तैयार नहीं है। एक

बड़ी समस्या यह भी है कि महिला सैन्य बलों के लिए आधारभूत संरचना (जैसे- उनके लिए अलग कमरे, बाथरूम तथा क्वार्टर्स आदि) की कमी है तथा वे अपनी नियुक्ति किसी सुरक्षित जगह पर करने की मांग करेगी जो पुरुष सैनिकों के मनोबल को गिरा सकती है। साथ ही महिलाओं की बॉयोलोजिकल जरूरतों जैसे प्रेग्नेंसी और महावारी की वहज भी कॉम्बैट रोल के लिए सही नहीं होती हैं।

महिला सैनिक विशेष तौर पर उग्रवादी गुटों के निशाने पर रहेंगी लेकिन लड़ाकू भूमिका में इस तरह के खतरे सन्निहित होते हैं, और राजनीतिक एवं सैन्य स्तर पर इसकी पूर्वस्वीकार्यता आवश्यक होगी।

आमतौर पर, किसी भी बदलाव का संस्था के स्तर पर प्रतिरोध अवश्यंभावी होता है। भारतीय सेना इसका अपवाद नहीं, बल्कि शायद वहां अधिक प्रभावी प्रतिरोध होता है।

आगे की राह

वास्तव में, चुनौतियां बहुत सारी हैं जिनसे एक-एक कर व्यावहारिक तौर पर निपटते हुए महिलाओं की भर्ती की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया विकसित करनी होगी। सिद्धांततः लड़ाकू भूमिका में कोई महिला लैंगिक आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मांग सकती। महिलाओं के लिए भी शारीरिक मानक वही होंगे जो लड़ाकू भूमिकाओं के लिए किसी आम सैनिक से अपेक्षित होते हैं। परंतु, प्रशासनिक/संस्थागत नीतियों के जरिए मातृत्व अवकाश के उनके अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

कोई ठीक से नहीं कह सकता कि लड़ाकू भूमिकाओं में भर्ती के लिए अनिवार्य कठोर शर्तों को लेकर महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जवान के स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति को लेकर मां-बाप सहज नहीं महसूस करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए अपनी मर्जी से आगे आने वालों की कमी होगी। कम संख्या में भी भर्ती के लिए महिलाएं सामने आती हैं तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

क्या शुरुआती प्रयोग सिर्फ अधिकारी के स्तर पर हो या फिर इसमें ऑफिसर और जवान दोनों को शामिल किया जाए? आदर्श स्थिति में भर्ती दोनों ही स्तर पर होनी चाहिए, तभी तमाम संबद्ध मुद्दों की समझ विकसित हो पाएगी। वर्तमान में, सेना में महिलाओं की सिर्फ ऑफिसर के स्तर पर गैर-लड़ाकू भूमिकाओं के लिए भर्ती होती है। समय आ गया है कि लड़ाकू भूमिकाओं के लिए अधिकारी स्तर के साथ-साथ जवान स्तर पर भी महिलाओं की भर्ती हो और सशस्त्र सेनाओं की अन्य सेवाओं में भी ऐसा हो।

लड़ाकू भूमिका में महिलाओं की भर्ती से सशस्त्र सेनाओं की कर्मचारी नीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, खासकर थलसेना में, जहां वायुसेना और नौसेना के विपरीत आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहना होता है। यह एक बड़ा अंतर है जिसे लैंगिक समानता के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पर दूसरे स्तर पर देखें तो भारत के एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भारी बदलाव आवश्यक है। कई मायनों में, सशस्त्र सेनाओं के लिए यह उस बदलाव में भागीदार होने का अवसर है।

- हमें उनके सपनों और आकांक्षाओं का नया पंख देने में मदद करनी चाहिए जिससे कि समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच व्याप्त खाई को कम करने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं को अपने देश के लिए शहीद होने से क्यों रोकें? ऐसी संतुष्टि और महिमा केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित क्यों हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है उन्हें भी हक है कि वे अपने देश के लिए कुछ करें।
- अब समय आ गया है कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका उचित हिस्सा दें, जहाँ उनकी पसंद हमारी प्रतिगामी और संकुचित मानसिकता से प्रतिबंधित न हो।
- महिलाएँ युद्ध के मैदान में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं। लैंगिक दुर्भावना की लड़ाई सामने वाले पर हावी नहीं होनी चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब एक महिला अनेक कठिन चुनौतियों का सामना कर लेती है तो युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकती है?
- सेनाध्यक्ष का यह सांस्कृतिक तर्क कि चूंकि सेना के अधिकांश आम जवान मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और वे शायद एक महिला को अपने अधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हों, हो सकता है सही हो, पर निश्चय ही यह कोई अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में महिलाओं को लेकर आगे बढ़कर सोचने की आवश्कता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

2. इंडोनेशिया में सुनामी का नया स्वरूप

चर्चा का कारण

हाल ही में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुंडा जलसंधि के निकट आई भीषण सुनामी में लगभग 373 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। ज्ञातव्य है कि इंडोनेशिया में पिछले छह महीने के भीतर यह तीसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। सितंबर में आये भूकंप और सुनामी के कारण 2,200 लोगों की जान गई थी तथा जुलाई में आए भूकंप में 556 लोगों की मौत हुई थी।

सुनामी क्या है?

सुनामी शब्द जापानी भाषा के दो शब्द 'सू' और 'नामी' से बना है। 'सू' का अर्थ होता है बंदरगाह और 'नामी' का अर्थ होता है तरंग, जिसका अभिप्राय जापान में बंदरगाह की लहरों से है। सुनामी जल की लहरों की शृंखला से मिलकर बनी एक प्राकृतिक घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब समुद्र या झील में जल का व्यापक मात्रा में तेजी से विस्थापन होता है। इस शब्द की रचना उन मछुआरों ने की जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद बंदरगाह को उज़ड़ा हुआ देखा था।

उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक सुनामी को भूकंपीय समुद्री तरंगों का नाम देते हैं। विज्ञान की भाषा में सुनामी समुद्र में संचरित होने वाली ऐसी तरंगों की एक शृंखला है जिनका तरंगदैर्ध्य अस्वाभाविक रूप से लंबा होता है। सुनामी तरंगों

की तरंगदैर्ध्य लगभग 700 किमी. और इनकी अवधि 10 मिनट से लेकर 2 घण्टों तक हो सकती हैं।

सुनामी के प्रकार

सुनामी तीन प्रकार की होती हैं-

- **दूरस्थ सुनामी:** यह तट से दूर लम्बे रास्ते में उत्पन्न होती है, जैसे कि चिली और प्रशांत के बीच का क्षेत्र।
- **क्षेत्रीय सुनामी:** यह अपने गंतव्य से दूर, एक से तीन घंटे की यात्रा समय के बीच उत्पन्न होती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी करमाडेक गर्त में पानी के नीचे ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्रीय सुनामी उत्पन्न कर सकती है।
- **स्थानीय सुनामी:** यह तट के बहुत ही करीब उत्पन्न होती है। इस प्रकार की सुनामी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि चेतावनी जारी करने के लिए केवल कुछ मिनटों का ही समय मिलता है।

सुनामी के कारण

आमतौर पर सुनामी आने का मुख्य कारण समुद्र के तल में भूकंप का आना जिससे समुद्र की लहरों में तीव्र तरंगें उत्पन्न होती हैं और सुनामी आती है। इसके अलावा समुद्र के किनारे या समुद्र के तल पर जमीन धँसने, प्लेटों के खिसकने, वायुमण्डलीय दबाव, समुद्र के भीतर विस्फोट, ज्वालामुखी फटने या अंतरिक्ष से किसी बड़े उल्कापिण्ड के समुद्री क्षेत्र में गिरने से भी सुनामी उत्पन्न होती है। साथ ही कभी-कभी बहुत बड़े चक्रवात से भी सुनामी आ सकती है।

ऊपरी सतह से लेकर अंदरूनी सतह तक पृथ्वी अनेक परतों में बँटी हुई हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह मोटी परत से बनी है। पृथ्वी की बाहरी सतह कई कठोर खण्डों में विभाजित है जो हजारों वर्षों में पूरी तरह से विस्थापित होती है। बाहरी सतह के जो विवर्तनिक प्लेट हैं वो बहुत धीरे-धीरे गतिमान हैं ये प्लेटें आपस में टकराती भी हैं और एक-दूसरे से अलग भी होती हैं। ऐसी स्थिति में घर्षण के कारण तेज हलचल उत्पन्न होती है जिससे अपार शक्ति उत्सर्जित होती है जिसका उदय भूकंप के रूप में होता है। यदि यह घटना समुद्र से होकर गुजरती है तो कई बार सुनामी का रूप धारण कर लेती है। सुनामी तरंगें पानी की दीवार की तरह तट पर टकराती हैं और बहुत तेजी से बाढ़ या ज्वार की तरह आगे बढ़ती हैं।

सुनामी का प्रभाव

विश्व के संदर्भ में: 26 दिसम्बर 2004 को आयी सुनामी ने भारत सहित विश्व के कई देशों में तबाही मचाई थी, जिससे आज भी कुछ देश उभर नहीं पाये हैं।

- समुद्र के अंदर आये इस विनाशकारी सुनामी से इंडोनेशिया और थाइलैण्ड में 100 मी. की ऊँची समुद्री लहरें उठी थीं, जिससे कई शहरों का विनाश हो गया था।
- सुनामी से प्रभावित 14 देशों में करीब ढाई लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के वादा अंक में हुआ था।
- इस आपदा से लाखों लोग विस्थापित हुए थे तथा लगभग 4 लाख 80 हजार घरों को नुकसान पहुँचा था।
- इस आपदा में 18 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे तथा 50,000 से ज्यादा लोग लापता हुए थे।
- इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप के चलते हिन्द महासागर में सुनामी की लहरें उठी थीं।
- इन लहरों से भारत सहित इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैण्ड, म्यांमार, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया और केन्या भी प्रभावित हुए थे।

भारत के संदर्भ में: यदि भारत के संदर्भ में देखें तो इस आपदा से भारत में लगभग 11 हजार लोगों की मौत हो गई थी तथा लगभग 6000 लोग लापता हो गये थे। भारत में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्रप्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु में कड्डलोर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ था।

- दक्षिण भारत स्थित कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्षतिग्रस्त हो गये।
- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीप जलमग्न हो गये तथा कुछ द्वीपों में एक मीटर तक पानी भर गया था।
- इस सुनामी से कुछ स्थानों की भूआकृति में परिवर्तन आ गया, साथ ही जैव संपदा को काफी नुकसान हुआ। भारी मात्रा में तटों से अवसाद और अन्य सामग्री समुद्री पारितंत्र में जाकर इकट्ठे हो गये जिससे समुद्री जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों को भारी नुकसान हुआ था।
- सुनामी से हुए नुकसान तथा पुनर्निर्माण पर 15 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने पड़े।

वर्तमान परिदृश्य

दरअसल सुनामी की घटना के लिए भूकंप को प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। हालांकि इंडोनेशिया में सुनामी से पहले भूकंप आया ही नहीं था जिससे कि इस बार प्रशासन की ओर से चेतावनी नहीं दी जा सकी। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केन्द्र के अनुसार ज्वालामुखी के फटने से सुनामी की घटना दुर्लभ है। वैज्ञानिकों के अनुसार संभवत: यह सुनामी जल की विशाल राशि के अचानक विस्थापन से घटित हुई है। मौसम विज्ञान और भू-भौतिकी के मुताबिक क्राकाटोआ ज्वालामुखी के फटने के बाद समुद्र के अंदर मची तीव्र हलचल सुनामी का कारण हो सकता है। वैश्विक एजेंसियों ने लहरों के उफान का कारण पूर्णिमा के चन्द्रमा को भी बताया है। विशाल द्वीप समूहों वाला देश इंडोनेशिया, पृथ्वी पर सबसे अधिक संभावित आपदा वाला देश है। इसकी वजह यह है कि इसकी भौगोलिक स्थिति, प्रशांत अग्नि वलय (Pacific Ring of fire) के क्षेत्र में स्थित है जहाँ टेक्टॉनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुख की घटनाएँ इस क्षेत्र में क्रमश: घटित होती रहती हैं।

प्राकृतिक आपदा के लिए सरकारी प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर: अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी पद्धति की शुरूआत 1965 में शुरू की गई थी। इसका संचालन राष्ट्रीय महासागरीय और वातावरणीय प्रशासन (NOAA) द्वारा किया जाता है।

- हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) कम्प्यूटर डाटा पद्धति से अमेरिका स्थित स्टेशन से संचालित होता है तथा अन्यत्र भी भूकम्प के समय सूचना पहुँचाता है।
- एनओएए द्वारा गहन महासागरीय सुनामी मूल्यांकन एवं सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। प्रत्येक केन्द्र पर संवेदनशील रिकॉर्डर लगे हुए हैं, जो समुद्र के जलस्तर के परिवर्तन को (यदि जलस्तर 1 से.मी. भी बढ़ता है) माप सकते हैं।
- सन् 1948 में प्रशान्त महासागर तटीय देशों को सुनामी से सचेत करने के लिए 'प्रशान्त सुनामी चेतावनी प्रणाली' (PTWS)

की स्थापना की गयी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत 'सुनामी चेतावनी केन्द्र' की स्थापना अलास्का तथा हवाईलैण्ड (संयुक्त राज्य) एवं जापान में की गयी है। प्रशान्त महासागर के सहारे कई सुनामी मीटर (अमेरिकी तट के सहारे 6, चिली तट पर 1 तथा जापान तट के सहारे 14) लगाये गये हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर: आजादी के बाद से ही भारत में प्राकृतिक आपदाओं की तैयारियों पर खासा ध्यान दिया गया। वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक पहल की गई। इस कानून के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की भूमिका तय की गई है। देश में आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं।

देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है-

- पहला, जिला स्तर पर डिस्ट्रिकट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) होता है। ये जिला कलेक्टर के अधीन काम करती हैं।
- दूसरे स्तर पर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) होती है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये सभी एजेंसियाँ समय-समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी की स्थिति में हालात से निपटने के लिए रोडमैप भी तैयार करती हैं।
- भारत में किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Responc force) का गठन भी किया गया है। किसी भी बड़ी त्रासदी की स्थिति में भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद भी ली जाती है।
- भू-विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र (INCOIS) में 125 करोड़ की लागत से स्थापित हिन्द महासागर सुनामी चेतावनी एवं निवारण यह प्रणाली 30 मिनट में भूकम्पीय तरंगों को आकलित कर सूचना पहुँचा सकती है। इस प्रणाली में बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर (BPRS) 30 ज्वारीय गेज, सुनामी उत्पन्न करने वाली भूकम्पीय तरंगों को पहचानने की क्षमता वाला सुनामी मॉनिटर समाविष्ट है।
- सुनामी जनित भूकम्पों का पता लगाने, सुनामी की निगरानी करने तथा सुनामी उत्पन्न होने की पुष्टि करने के लिए 'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी' (NIOT) ने बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बॉटम प्रेसर रिकॉर्डर (BPR) तथा NIOT ने 30 'ज्वार एवं तूफान तरंग मापन (गॉज)' भी लगा रखा है। इनके द्वारा सुनामी लहरों के आगे बढ़ने की प्रगति की मॉनीटरिंग (निगरानी) की जाती है।

कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ)

भारत में कोस्टल रेगुलेशन जोन की सरकारी घोषणा सन् 1991 में की गयी। इस रेगुलेशन जोन के अन्तर्गत उन सागरीय पारिस्थितिक तंत्रों को सम्मिलित किया गया है जिनके अस्तित्व के लिए सदैव खतरा बना रहता है। इनके अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है: तटीय बालुकास्तूप, सागरीय पुलिन, मैंग्रोव वन तथा प्रवाल। सन् 1991 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्रों को निम्न मण्डलों में रखा गया है:

जोन 1 के अन्तर्गत मैंग्रोव वन एवं प्रवाल के नाजुक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। उच्च ज्वार तल से 500 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास कार्य निषिद्ध है।

जोन 2 के अन्तर्गत 500 मीटर की रेखा से स्थल की ओर आने वाले भागों को सम्मिलित किया जाता है। इस मण्डल में नगर तथा कस्बे होते हैं। पूर्वनिर्मित भवनों से स्थल की ओर नये निर्माण की अनुमति दी जाती है।

जोन 3 में अविकसित क्षेत्र तथा पर्यटन केन्द्र आते हैं। प्रस्तावित योजनाओं के पुनर्निरीक्षण एवं विवेचन के बाद नये निर्माण की अनुमति दी जाती है।

जोन 4 के अन्तर्गत अण्डमान समूह के द्वीपों तथा लक्षद्वीप को सम्मिलित किया जाता है जहाँ पर उच्च ज्वार तल से 500 मीटर अन्दर (स्थल की ओर) तक को पूर्णतया संरक्षित किया जाता है तथा किसी तरह के निर्माण कार्य एवं विकास की योजनाओं को अनुमति नहीं दी जाती है।

सुनामी आपदा का न्यूनीकरण एवं प्रबंधन

सुनामी आपदा के प्रबन्धन की वर्तमान विधि के अन्तर्गत निम्न दो संघटकों को सम्मिलित किया जाता है:

1. सुनामी आपदापूर्व अवस्था
2. सुनामी आपदापरान्त अवस्था

1. सुनामी आपदापूर्व अवस्था

सुनामी आपदापूर्व प्रबन्धन के अन्तर्गत निम्न तीन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है:

i) सुनामी आपदा से निपटने के लिए तैयारी (preparedness)

ii) सुनामी आपदा का निवारण (mitigation)

iii) सुनामी आपदा का निरोध (prevention)

सुनामी आपदा के आने से पहले उससे निपटने के लिए किये जाने वाले तैयारी तथा आपदा न्यूनीकरण के कार्यों के अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है:

i) सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकम्पीय क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा मानचित्र तैयार करना।

ii) 'कोस्टल रेगुलेशन जोन' का निर्धारण एवं सीमांकन करना ताकि उसके अन्तर्गत किसी प्रकार का निर्माण कार्य तथा अधिवास न हो सके।

iii) प्राकृतिक संरक्षात्मक सुरक्षा पंक्ति की रक्षा एवं संरक्षण। इसके अन्तर्गत निम्न प्रमुख हैं:
- मैंग्रोव
- प्रवाल भित्तियाँ
- सागरीय पुलिन
- सागरतटीय बालुकास्तूप
- सागरीय ब्रेकवाटर

iv) सुनामी मीटरों को लगाना, अन्त: सागरीय भूकम्पों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली सुनामी लहरों की ट्रैकिंग करना।

v) सुनामी की भविष्यवाणी करने एवं अग्रिम सुनामी चेतावनी प्रणाली का प्रावधान करना।

vi) खतरा वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समय रहते निर्वासन तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए पहले से तैयारी करना।

vii) सागर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, मछुआरों तथा स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुनामी के विषय में प्रशिक्षित करना ताकि सुनामी आपदा आने पर सुनामी गाइडलाइनों का कड़ाई से अनुपालन एवं अनुसरण किया जा सके।

viii) सुनामी हूटर की आवाज सुनते ही शीघ्र सक्रिय हो जाने का अभ्यास एवं मॉकड्रिल करना क्योंकि सुनामी चेतावनी हूटर को सुनने के बाद सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मात्र 20 मिनट का ही समय रहता है।

ix) संभावित सुनामी घटना को सूचित करने के लिए संचार के साधनों का प्रावधान करना।

x) सुनामी जोखिम को कम करने के लिए निम्न उपायों का प्रावधान करना:

- निचले तटीय क्षेत्रों में मानव अधिवासों के बसाव से बचना चाहिए।
- रक्षात्मक सागर दीवाल तथा ब्रेकवाटर का निर्माण करना।
- मैंग्रोव वनों का क्षेत्रीय विस्तार करना।
- सागरीय पुलिनों से रेत खनन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना।
- सागर तटीय बालुका स्तूपों पर वृक्षारोपण करना
- प्रवाल भित्तियों को समृद्ध बनाना,

xi) सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना,

xii) खोज एवं बचाव कार्य के लिए उपकरणों की व्यवस्था करना।

xiii) सुनामी से होने वाली क्षति के सही ढंग से आकलन करने के लिए उचित उपाय करना।

xiv) मेडिकल सहायता का प्रावधान करना आदि।

2. सुनामी आपदोपरान्त अवस्था

सुनामी आपदा प्रबन्धन के आपदोपरान्त अवस्था के अन्तर्गत प्रबन्धन का कार्य 3 चरणों में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अवस्था के अन्तर्गत प्रबन्धन कार्य सुनामी आपदा के आ जाने के बाद प्रारंभ किया जाता है। इसके तीन चरण निम्न प्रकार हैं:

i) बचाव एवं राहत कार्य (R)

ii) रिकवरी कार्य (R)

iii) पुनर्वास कार्य (R)

जब किसी देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर सुनामी जैसी विध्वंसकारी आपदा का प्रहार होता है तो आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

- मलबे में दबे जीवित लोगों की खोज, बचाव एवं निर्वातन से संबंधित कार्य का शीघ्र सम्पादन।
- राहत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना।
- आपदा से पीड़ित लोगों की रिकवरी।
- आपदा से विस्थापित लोगों का पुनर्वास।
- आपदा से पीड़ित लोगों की चिकित्सकीय सहायता करना।

चुनौतियाँ

- हालांकि अकसर प्राकृतिक आपदा के आगे इंसानी तैयारियाँ बौनी साबित हो जाती हैं।
- कई बार राहत पहुँचाने में देरी और समुचित सहायता भी समय से नहीं पहुँच पाती है।
- समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जागरूकता का अभाव है।
- सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए बने सूचना केन्द्र और अन्य मैकेनिज्म (यंत्र) का सही ढंग से कार्य न करना।

आगे की राह

ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आने से पहले जानवरों को आभास हो जाता है और वे समुद्र क्षेत्रों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाते हैं। पहली बार जानवरों के इस व्यवहार को यूरोप में लिस्बन में भूकंप के कारण उत्पन्न हुई सुनामी के समय रिकॉर्ड किया गया था। कई शोधकर्ता सुनामी और कई अन्य प्राकृतिक आपदा को पहले से महसूस करने की जानवरों की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जानवरों की इस असाधारण क्षमता का लाभ उठाकर प्राकृतिक आपदा का पुर्वानुमान लगाया जा सके।

इसके अलावा विश्व में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दुनिया भर में अनेक स्थानीय तरीके ढूँढ़े किये गये हैं जैसे-

- भूकंप से निपटने के लिए जापान में,
- बर्फबारी के मामले में अमेरिका में,
- समुद्री तुफानों से लड़ने के लिए आस्ट्रेलिया में,
- जंगलों की आग से निपटने में लैटिन अमेरिकी देशों का कार्य उल्लेखनीय है। इन तकनीकों को भारत में भी अपनाए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

■

3. न्यायिक आचरण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता

चर्चा का कारण

हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस.आर. सेन ने कहा है कि 'यदि कोई व्यक्ति देश के कानून और संविधान को नहीं मानता है तो उसे कोई हक नहीं है भारत के नागरिक रहने का।'

जस्टिस एस.आर. सेन ने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कानून मंत्री और सभी सांसदों से अपील की है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयंतिया और गारो समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाय। जस्टिस एस.आर. सेन निवास प्रमाण पत्र से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ''1947 में विभाजन के समय ही भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, परंतु यह धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और धर्म के आधार पर विभाजित भारत को भी खुद को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए लेकिन यह अभी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।''

जस्टिस एस.आर. सेन के इस बयान की संविधान के दायरे में रहकर बड़े स्तर पर आलोचना भी की गयी। यह बयान भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक बार फिर से इस प्रश्न को खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय न्यायालय और न्यायाधीश किसी मामले के निर्णय तक पहुँचने में उतने निष्पक्ष हैं जितना कि भारत जैसे एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक देश में उम्मीद की जाती है?

परिचय

जस्टिस एस.आर. सेन द्वारा दिये गये हालिया बयान से एक राजनीतिक विवाद ने जन्म ले लिया है। साथ ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिया गया इस तरह के बेतुके बयानों से न्यायपालिका की गरिमा को काफी ठेस पहुँचती है, जो कि काफी चिंताजनक विषय है।

मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय कर सकती है।

न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और इसके लिए वह केन्द्र एवं राज्यों के उन कार्यकारी, प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, जो संविधान के विरुद्ध हों। अतः विधि का शासन सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना काफी जरूरी है।

हालाँकि न्यायपालिका का आधारभूत कानून, न्यायिक स्वतंत्रता हासिल करने का आरंभिक बिन्दु है। अंततः न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राज्य के सभी अंगों जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, के द्वारा अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा उन्हें सहयोग प्रदान करने व जनता की उनके प्रति राय पर निर्भर करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कुछ प्रमुख घटनाएँ जैसे-सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से भी बचाने की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा का विषय रहा है।

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ

न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई नई अवधारणा नहीं है, परंतु इसका अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। इस अवधारणा का आशय मूल रूप से 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत' से जुड़ा हुआ है।

जबकि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है- कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। परंतु इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि न्यायपालिका एक संस्थान के रूप में इन दोनों संस्थानों (कार्यपालिका और विधायिका) से अलग हों बल्कि वैचारिक एवं आत्मीय रूप से भी अलग हों। हालाँकि इन मामलों में न्यायपालिका स्वयं को बहुत हद तक इन स्तरों पर अलग नहीं कर पाया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ केवल कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण और उनके प्रभाव से मुक्त एक स्वायत्त संस्थान से ही नहीं है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य है- न्यायाधीश बगैर किसी बाह्य हस्तक्षेप के, विधि के अनुसार किसी भी विवाद का फैसला करने में सक्षम हों। इसका अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। हालाँकि न्यायाधीश को न्यायपालिका के सदस्य के रूप में मिलने वाली यह स्वतंत्रता न्यायपालिका के अर्थ को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है।

यह सर्वविदित है कि न्यायिक स्वतंत्रता के अर्थ को सामान्यतया नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही न्यायाधीश से यह उम्मीद की जाती है कि वे बगैर किसी विचारधाराओं से प्रभावित हुए, स्वतंत्र रूप से अपनी संवैधानिक भूमिकाओं का निर्वहन करें।

परंतु इसमें कोई संदेह नही है कि न्यायाधीशों के कुछ निर्णयों से उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रकट होती है। हालाँकि भारतीय संविधान न्यायाधीश को एक राजनीतिज्ञ में परिवर्तित होने के लिए अधिकृत नहीं करता है जबकि वह हमेशा प्राथमिक रूप से संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य है।

न्यायिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान वह मूलभूत कानून है जहाँ से अन्य सभी कानून अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच पृथक्करण का अभाव है परंतु कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गयी है। विशेष रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 के तहत यह कहा गया है कि 'राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने लिए राज्य कदम उठाएगा।'

भारतीय संविधान में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 एवं 227 द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गयी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 9 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की ''आत्मा'' (Soul) और ''विवेक'' (Conscience) है जिसके अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार (Remedy) का प्रावधान किया गया है।

संवैधानिक शासन व्यवस्था के लिए न्यायिक समीक्षा एक अनिवार्य शर्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थापना करते समय संविधानविदों ने स्वतंत्र न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख प्रावधान किये थे, जो निम्नलिखित हैं:

1. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदभार ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते हैं कि मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत की झलक इस शपथ पत्र में अंतर्निहित है।
2. भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति इस मामले में कैबिनेट से भी सलाह लेता है। संविधान में इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता भी निर्धारित की गई है।
3. संविधान में न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गयी है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त नही होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छाचारी ढंग से पद से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यदि उन पर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध होता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है।
4. उनके वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund) से दिए जाते हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जा सकते, केवल वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के समय उनका वेतन कम किया जा सकता है।
5. कार्यपालिका और विधायिका द्वारा न्यायाधीशों के कार्यकलापों पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें पद से मुक्त करने के समय इस पर चर्चा की जा सकती है।
6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए

सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष तय की गयी है। हालाँकि लंबा कार्यकाल न्यायाधीशों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है।

7. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी अदालत में कनूनी कार्य में संलग्न नहीं हो सकते। जबकि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी राज्य में कानूनी कार्य में संलिप्त रह सकते हैं। ये सभी प्रकार के प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अदालतों के फैसले को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हैं।

भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का विश्लेषण

संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जो मुख्यत: प्रथम दो अर्थों में न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे- पहला, न्यायपालिका को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना और दूसरा, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अर्थात बिना किसी भय, लोभ आदि के। इनके अतिरिक्त जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वह यह है कि न्यायाधीशों का व्यक्तिगत पक्षपात, राजनीतिक और नैतिक विश्वास तथा किसी खास विचारधारा से तटस्थ रहना।

न्यायिक निष्पक्षता और स्वतंत्रता न केवल विधि पर बल्कि उस विधि का अनुपालन सुनिश्चित कराने वाले न्यायाधीशों पर निर्भर करती है, अर्थात केवल विधि के निष्पक्ष होने से न्यायिक निष्पक्षता नहीं प्राप्त की जा सकती बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों का भी निष्पक्ष होना आवश्यक है।

अत: यदि कोई न्यायाधीश राजनीतिक अथवा किसी खास विचारधारा से प्रभावित है तो उससे निष्पक्षता की उम्मीद अपेक्षानुरूप नहीं की जा सकती। 'विधि' और 'विधि का अनुपालन' दोनों का राजनीतिक आदि विचारधाराओं से स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसलिए न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए पहले दो प्रकार के उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा तीसरे उपाय पर भी अतिरिक्त ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि जहाँ नियंत्रण होता है वहीं जवाबदेहिता भी होती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञों पर चुनाव का एक प्रकार का दबाव होता है अर्थात् उन्हें हर हाल में प्रत्येक पाँच वर्ष में जनता के बीच चुनाव के लिए जाना पड़ता है। उन पर चुनाव रूपी यह दबाव उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। दूसरी तरफ, न्यायाधीशों पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। वे ऐसे किसी भी बाहरी दबाव से सुरक्षित होते हैं। उनकी जवाबदेहिता उनके स्वयं के संवैधानिक पद के प्रति होती है। ऐसे में इनका निष्पक्ष होना और भी आवश्यक हो जाता है।

हालाँकि स्वयं के प्रति जवाबदेहिता किसी की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे कमजोर पक्ष है।

लोकतंत्र में सभी संवैधानिक संस्थानों का एक निश्चित कार्यक्षेत्र एवं दायरा है और इस दायरे का उल्लंघन करना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब दायरे का उल्लंघन करने वाले को यह तय करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि दायरा का उल्लंघन हुआ या नहीं।

विधिक संस्कृति न्यायिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधिक संस्कृति से हमारा आशय अलिखित लेकिन स्पष्टतया स्थापित ऐसे मानदंड से है जो यह सुनिश्चित करता है कि ''विधि के अनुपालन'' में कौन-सी गतिविधि स्वीकार्य है अथवा नहीं।

इस संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, कानूनी शिक्षाविदों, प्रेस और नागरिकों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

विधिक संस्कृति के समक्ष संकट

विधिक संस्कृति के समक्ष संकट का दौर 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब न्यायिक शक्ति का तीव्र गति से विस्तार होना शुरू हुआ था। इस विस्तार से निहितार्थ यह था कि न्यायपालिका काफी लंबे समय से एक ही ढर्रे पर चल रही थी और समय और व्यक्तियों की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पा रही थी, इसलिए ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बदलाव का समय आ गया है। इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रक्रियात्मक शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सामने आया। इन बदलावों में से सर्वप्रमुख बदलाव "लोकहितवाद" के रूप में सामने आया। इसके तहत यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में सक्षम नहीं है तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति/समूह भी न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है।

हालाँकि उस दौरान उठाये गये कुछ अन्य सुधारात्मक कदम आगे चलकर द्विधारी तलवार साबित हुए, जैसे उन साक्ष्यात्मक मानकों में छूट प्रदान करना जिनकी किसी तथ्य को 'साबित' अथवा 'ना साबित' करने में आवश्यकता होती है। इसका परिणाम यह निकला कि उपचार प्रदान करने के मामले में न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्तियों में अत्यधिक विस्तार हो गया। हर प्रकार की सामाजिक समस्याओं का हल न्यायपालिका में खोजना और त्वरित एवं प्रभावी न्याय की राह में प्रक्रियात्मक व्यवस्था को बाधक मानना वे दो बड़ी समस्याएँ हैं, जिनके कारण आज न्यायपालिका पर याचिकाओं और वादों का ढेर लग गया है। जहाँ पहली समस्या एक न्यायाधीश को उसके समक्ष उपस्थित किसी भी सामाजिक समस्या पर अपने निजी विचार और मत प्रकट करने की छूट प्रदान कर देती है, वहीं दूसरी प्रकार की समस्या उसके विचार और उस विचार को क्रियान्वित करने में लगे विधिक 'चेक एंड बैलेंस' को नकारने का अवसर प्रदान कर देती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में कोर्ट का मिलाजुला रिकॉर्ड रहा है। कुछ केसों में तो कोर्ट ने सरकार से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य किया है, जैसे- राष्ट्रगान संबंधी आदेश, तीरूकुरल संबंधी आदेश, एनआरसी प्रक्रिया संबंधी आदेश तथा हाल ही में जस्टिस एस.आर. सेन द्वारा दिया गया बयान।

ऐसे आदेशों एवं निर्णयों से कभी-कभी यह संदेह होता है कि हमारी न्यायपालिका 'एक्जक्यूटिव कोर्ट' बनने की दिशा में तो नहीं अग्रसर हो रही है? अर्थात् एक ऐसी न्यायपालिका जिसके आचरण एवं विचार सत्ताधारी दल की विचारधारा का ही प्रतिबिम्ब होती है। ऐसी न्यायपालिका, कार्यपालिकीय शक्तियों को सीमित करने और जाँच करने के बजाय, कार्यपालिकीय संबंधी विचारधारा को ही बढ़ावा देती है। हाल ही में जिस तरह से कुछ न्यायाधीशों के द्वारा राजनीतिक रूप से प्रभावित बयान दिया जा रहा है, इसके लिए एक विधिक संस्कृति बनाने की अनिवार्यता है। विधिक संस्कृति का अर्थ है- सबके लिए एक समान मानक निर्धारित करना। ऐसा नहीं कि केवल जस्टिस सेन के दिये गये बयानों की ही समीक्षा की जाय वरन् इस तरह के पूर्व में दिये गये निर्णयों को भी इन कसौटियों पर कसा जाना चाहिए। न्यायाधीशों को हमेशा अपने फैसले देने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती है, जिससे संवैधानिक न्यायालय को एक्जक्यूटिव कोर्ट में परिवर्तित होने से रोका जा सके।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक अंग

(कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका) को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। भारत में जनप्रतिनिधियों को 'न्यायिक सक्रियता' संबंधी समस्या का निदान करने के उपाय ढूँढ़ने चाहिए। न्यायिक समीक्षा के लिए कार्यपालिका व विधायिका के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका द्वारा अपने शक्तियों के प्रयोग करते समय स्वयं पर संयम रखना चाहिए और बगैर किसी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित हुए लोक हित के मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए। जनता के हित में निर्णय देते हुए इन्हें इस बात का भलीभाँति ध्यान रखना चाहिए कि उनका यह निर्णय न्यायिक प्रकृति का हो, कार्यपालिकीय प्रकृति का नहीं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

4. ऑनलाइन निगरानी और निजता का अधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक अधिसूचना में देश की 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को कम्प्यूटर में रखे डाटा, ऑनलाइन गतिविधियों और दूसरे निगरानी की अनुमति दी है। एजेंसियों की जांच में सहयोग नहीं करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिसूचना में शामिल एजेंसियों में गुप्तचर ब्यूरो, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग के लिए), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के क्षेत्रों के लिए) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हैं।

परिचय

पिछले एक दशक के भीतर हम अनेक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी हस्तक्षेपों के गवाह बने हैं जिसमें डिजिटल क्षेत्र में निगरानी के अत्यधिक विवादस्पद मुद्दे शामिल हैं। वर्ष 2008 की आईटी (IT) अधिनियम की धारा 69 में, संशोधन ने सरकार की निगरानी की शक्तियों में और वृद्धि किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए तथा अपमान जनक (Sexually abusive content) सामग्रियों के लिए ढाँचा तैयार करे।

केन्द्र सरकार का सबसे नवीनतम् प्रस्ताव मध्यवर्ती कानूनों में संशोधन से संबंधित था जिसका उद्देश्य देश की 10 एजेंसियों को अधिकृत कर कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रेषित या संग्रहित की गई कोई जानकारी तथा निगरानी और विवरण का अधिकार देना था। इस कानून का उद्देश्य विशेषरूप से सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन गतिविधियों को विनियमित करना है। इस कानून का विश्लेषण दो मौलिक अधिकारों के खिलाफ करना होगा। पहला- भाषण की अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा- निजता का अधिकार।

यह विनियमन जो मूल अधिकारों को कम करते हैं, का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए डेटा सुरक्षा से संबंधित वैधानिक मानदंडों को नागरिकों को उनकी सूचनात्मक गोपनीयता के उल्लंघन से बचाने के लिए आवश्यक माना जाता है, लेकिन ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के प्रयासों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाह की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इस तरह के कानूनी प्रावधानों को उचित ठहराया है। सरकार का यह भी मानना है कि सोशल मीडिया ने कानून प्रर्वतक एजेंसियों के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आयी है, जिसमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए संचालित अभियान, अश्लील सामग्री का प्रचलन, हिंसा और विवाद फैलाना आदि शामिल है। हालांकि प्रस्तावित संशोधन व्यापक रूप से कार्यकारिणी को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करता है।

क्या है कानूनी प्रावधान?

संसद द्वारा सन 2000 में सूचना तकनीक अधिनियम पारित किया गया जिसे 2008 व 2009 में संशोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली में सूचना तकनीक की आदर्श नियमावली के बाद यह कानून पेश करना जरूरी हो गया था। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम या किसी अन्य कानून में भी इन दस्तावेजों का उपयोग हो सकता है। सूचना तकनीक कानून 2000 के तेरहवें अध्याय में 94 धाराएँ हैं। इस कानून के कुछ प्रावधान निम्न हैं-

- कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ (धारा 65)
- कंप्यूटर का डेटा छेड़ना या हैक करना (धारा 66)
- इससे प्रतिबंधित सूचनाएँ भेजना-(धारा 66ए)
- सूचनाएँ चुराने पर दंड (धारा 66बी)
- किसी की पहचान सार्वजनिक करने पर (धारा 66सी)
- पहचान छिपाकर कंप्यूटर से किसी के व्यक्तिगत डेटा से छेड़छाड़ (धारा 66डी)
- किसी की निजता भंग करने के लिए (धारा 66ई)
- साइबर आतंकवाद के लिए दंड (धारा 66एफ)
- आपत्तिजनक सूचनाओं का प्रकाशन (धारा 67)
- फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर (धारा 73)।

इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान भी हैं, जो इस प्रकार हैं-

ई-मेल पर धमकी भरा संदेश भेजने से धारा 503 के तहत कार्रवाई, मानहानि वाले संदेश भेजने पर धारा 499 के अंतर्गत मामला, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने पर धारा 463 के अंतर्गत कार्रवाई।

क्या है आईटी (IT) एक्ट की धारा-69?

आईटी एक्ट वर्ष 2000 में बना। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता या संप्रुभता के लिए सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है। हालांकि, निगरानी करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार ही तय करती है।

आदेश में सरकार ने सिर्फ कम्प्यूटर की निगरानी की बात कही है, लेकिन इसमें लैपटॉप

और डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल और सारे डिजिटल डिवाइस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने संसद में कम्प्यूटर की परिभाषा बताते हुए कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या अन्य हाईस्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो लॉजिकल, अर्थमैटिक या मेमोरी संबंधी काम करती है, उसे कम्प्यूटर कहा जाता है।

इस आदेश के अनुसार, सरकार तीन काम कर सकती है। पहला- इंटरसेप्ट या टैप, दूसरा- हमारे डेटा की मॉनिटरिंग और तीसरा- हमारे मैसेज या सूचनाओं को डिक्रिप्ट (डिकोड) करना।

दरअसल, छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को विभिन्न माध्यमों से लेकर एक 'मेगा डेटा' बनाया जा सकता है, जो किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग के लिए पर्याप्त है। इस प्रोफाइलिंग के जरिए, सरकार हर वो चीज कर सकती है, जिसे वो करना चाहती है। यह ठीक उसी तरह होता है, जिस तरह से कैम्ब्रिज एनॉलिटिका ने लोगों की प्रोफाइलिंग की थी। इसके दो सिद्धांत हैं।

पहला- जो भी डेटा कंपनियों के पास है, वो कंपनियों, आधार जैसी कानूनी एजेंसियों, कोर्ट और संसद के निरीक्षण में है, वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकतीं। अगर करती भी हैं तो सरकार या कोर्ट डेटा प्रोटेक्शन नियमों का उल्लंघन करने पर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

दूसरा- कंपनियों के पास हमारा डेटा लेने का एक ही माध्यम है- या तो उनका ऐप या फिर वेबसाइट। लेकिन सरकार सभी ऐप या वेबसाइट से डेटा ले सकती है, जिससे हमारा मेगा डेटा सरकार के पास आ जाएगा और इस तरह सरकार सबसे बड़ी 'डेटा एग्रीगेटर' (डेटा संग्रहक) बन जाएगी।

क्या है वर्तमान अधिसूचना?

- आईटी एक्ट की धारा 69, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाओं को बीच में रोकने का अधिकार देती है। खासकर तब जब देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरा हो या फिर मित्र देशों से रिश्तों का मामला हो।
- वर्तमान समय में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक मामले में जाँच के लिए जांच एजेंसी को गृह सचिव से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- कंप्यूटर या मोबाइल डेटा में सेंधमारी का आदेश तभी दी जा सकती है, जब गृह मंत्रालय के पास अन्य साधनों से सूचना नहीं मिल पाने का ठोस आधार हो।
- सरकारें समय-समय पर ऐसे आदेश जारी करती हैं। सरकार ने कहा है कि इसमें नया कुछ नहीं है, बस एजेंसियों की संख्या बढ़ाई गई है।
- इस अधिसूचना के तहत निगरानी की अवधि एक बार में 60 दिन तक होगी, इसके बाद दूसरी बार 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन 180 दिन से ज्यादा समय तक नहीं।
- रिव्यू कमेटी सुरक्षा एजेंसी की सेंधमारी की मांग को खारिज कर सकती है। गृह सचिव को सात दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी में कैबिनेट सचिव, दूरसंचार सचिव, विधि मामलों के सचिव शामिल होंगे।

क्या है निजता का मौलिक अधिकार?

निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। यह संविधान के भाग-तीन के तहत प्रदत्त आजादी का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। गत वर्ष निजता के मौलिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। सरकार किसी भी व्यक्ति के निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती। निजता के मौलिक अधिकार के मुताबिक, अब आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। यानी अगर टैलिकॉम कम्पनियाँ, रेलवे या एयरलाइन कंपनियाँ आपसे आपकी निजी जानकारी मांगती हैं तो इस स्थिति में निजता के मौलिक अधिकार के तहत आप अपनी जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं।

विश्लेषण

मौजूदा निगरानी ढाँचा जटिल और भ्रामक है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दो कानून हैं-

पहला- टेलीफोन निगरानी को 1885 टेलीग्राफ अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई थी।

दूसरा- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को शामिल किया गया है। दोनों ही अधिनियमों में संरचनात्मक दृष्टि से प्रक्रिया समान है जो 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है। इसके अनुसार निगरानी रखने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सहमति आवश्यक थी।

वर्तमान शासन में तीन विशेषताएँ मौजूद हैं- पहला- इसमें अफरशाही के तत्व अधिक मौजूद हैं क्योंकि ये न तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है और न ही संसदीय व्यवस्था के तहत। वास्तव में कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि वह इन एजेंसियों की निगरानी में है अर्थात् जब यह बात किसी को पता ही नहीं रहेगा कि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन निगरानी में रखा गया है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जा ही नहीं सकता है।

दूसरा- निगरानी व्यवस्था का अस्पष्ट और अपारदर्शी होना है। आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत निगरानी के आधार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों से अलग कर दिया गया है तथा इसे अलग से कानून के माध्यम से जोड़ा गया है जिसमें बहुत व्यापक उद्देश्य शामिल किये गये हैं जैसे- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा भारत की संप्रभुता और अखण्डता।

तीसरा- उपरोक्त दो प्रावधानों के अलावा शासन का अपारदर्शी होना। कानूनी मानकों को कैसे लागू किया जाता है तथा उन निकायों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन पर निगरानी रखी जाती है। दरअसल वर्ष 2014 में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि ऐसा कोई स्पष्ट तंत्र ही नहीं है जबकि देखा जाय तो प्रत्येक दिन औसतन लगभग 250 निगरानी अनुरोधों को मंजूरी दी जाती है। तात्पर्य यह है कि इस तरह की स्थिति में अनुमोदन एक रबर स्टैंप की तरह दिखता है न कि एक स्वतंत्र अनुप्रयोग की तरह।

इस निगरानी व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए दिया गया सामान्य तर्क यह है कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। आतंकी खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस तरह की निगरानी व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि यह जनता के संज्ञान में भी रहे।

कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान के खिलाफ नहीं है, यहाँ तक कि नागरिक अधिकारों के पैरोकार भी ये नहीं चाहेंगे कि आतंकी हमले से देश को बचाने के लिए लोगों पर निगरानी न रखी जाए। मुद्दा यह नहीं है कि निगरानी हो या नहीं, मुद्दा यह है कि यह निगरानी कब, कैसे और किस प्रकार होनी चाहिए।

वैश्विक स्तर पर, हमारे सामने अतीत के कई ऐसे अनुभव हैं जिनमे हम पाते हैं कि निगरानी से राष्ट्रीय सुरक्षा तो सुनिश्चित नही होती है अपितु इससे पुलिसिया शासन में बढ़ोतरी होती है तथा आमजन के निजता के अधिकार में लालफीताशाही का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण हम अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सामुहिक निगरानी जैसे कार्यक्रम की जाँच करते हुए अमेरिकी अदालत ने पाया कि 50 से अधिक आतंकी हमलों को बिना नागरिकों के निजी जीवन में ताक-झांक किये रोका जा

सकता था। एनएसए (NSA) द्वारा निगरानी के माध्यम से एकत्रित एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था जिसे कि महत्वपूर्ण माना जा सके।

वास्तव में इस तरह की प्रणाली से अक्सर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक सरकार जब किसी सार्थक तरीके से सूचनाएँ एकत्रित नहीं करती है तो निगरानी तंत्र के माध्यम से प्राप्त सूचनाएँ बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाती हैं जिससे मुख्य जानकारी या सूचनाएँ उन्हीं में खो जाती हैं।

चुनौतियाँ

- इससे पहले जो टैपिंग या मॉनिटरिंग होती थी, वो टेलीग्राफ एक्ट के तहत होती थी। उसमें सिर्फ फोन टैपिंग करने का अधिकार था। अब आईटी एक्ट के तहत 10 सरकारी एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा टैप या मॉनिटर करने का अधिकार मिल जाएगा। गृह मंत्रालय का यह आदेश फोन टैपिंग के दायरे से बहुत आगे जाता है। इस आदेश के तहत एजेंसियाँ आपके द्वारा सालों से गूगल पर सर्च किए गए डेटा की मांग कर सकती हैं। साथ ही आपके वॉट्सऐप, फेसबुक, ईमेल, तथा आप किससे, कितना और क्या बात करते हैं, इसका डेटा आपसे मांग सकती है।
- आप रोज जितना भी डेटा इस्तेमाल करते हैं, उतना डेटा यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि आपका व्यवहार, आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपकी पसंद-नापसंद क्या है? आप किसके समर्थक और किसके विरोधी हैं? कुल मिलाकर आपके डेटा से प्रोफाइलिंग की जा सकती है।
- सरकार का ये आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) पर आधारित है, लेकिन अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में फैसला देते हुए निजता को मौलिक अधिकार बताया था। सरकार का आदेश न सिर्फ निजता के मौलिक अधिकार पर खतरा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी है।
- सरकार का आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) का उल्लंघन भी है। क्योंकि यह धारा सरकार को आम जनता की निगरानी के लिए असीमित शक्ति नहीं देती। यह सिर्फ जनता के हित या राष्ट्र की संप्रुभता या अखंडता को बनाए रखने के लिए कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में कहीं भी साफ नहीं किया है कि वो कम्प्यूटर की निगरानी क्यों और कब करेगी?

क्या है डाटा इंटरसेप्शन?

किसी भी माध्यम से फोन या इंटरनेट कम्युनिकेशन को सुनना, देखना या उसकी मॉनिटरिंग करना इंटरसेप्शन या वायर टैपिंग कहलाता है। इंटरसेप्शन दो तरह के होते हैं- 1. कानूनी इंटरसेप्शन, 2. गैर-कानूनी इंटरसेप्शन

1. सरकार राष्ट्रहित में नियम के तहत जो इंटरसेप्शन करती है, उसे कानूनी इंटरसेप्शन कहते हैं।
2. कोई व्यक्ति या एजेंसी सरकारी साधनों के माध्यम से नियमों के खिलाफ जाकर इंटरसेप्शन करती है, तो उसे गैर-कानूनी इंटरसेप्शन कहते हैं।

आगे की राह

- पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद (निजता का अधिकार मामला-2017) में दिये गये निर्णय में संवैधानिक अंतर्विरोध जिसके भीतर कब, कैसे और किस प्रकार के सवालों को स्पष्ट किया गया है। निजता के आनुपातिक मानक के कारकों में से एक यह है कि सरकार की कार्यवाही कम से कम प्रतिबंधात्मक विधि पर आधारित होनी चाहिए जिससे की राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

  दूसरे शब्दों में यदि एक ही लक्ष्य, कि राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? इसके लिए अगर मौलिक अधिकारों का कम से कम हनन कर सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो उसी तरह के प्रयास करने की जरूरत है।
- इन मानदंडों के तहत, मौजूदा निगरानी ढाँचे में तीन कमी जैसे नौकरशाही की भूमिका, अस्पष्टता और अपारदर्शिता पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि निगरानी के दौरान अक्सर व्यक्तिगत गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन शामिल है। सरकारी निगरानी प्रणाली स्वतंत्रता के अधिकारों को कम करती है, जिसका समाज पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन संसद में सबकी सहमति के आधार पर ही किया जाना चाहिए अर्थात निगरानी करने वाली एजेंसियों पर संसदीय निगरानी होनी चाहिए। साथ ही निगरानी से प्राप्त सूचनाओं को आवश्यक रूप से न्यायिक प्राधिकरण के सम्मुख रखा जाना चाहिए।
- दूसरे, न्यायिक समीक्षा से कुछ हासिल नहीं होने वाला है जब तक कि वर्तमान निगरानी व्यवस्था व्यापक रूप से अस्पष्ट बनी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि निगरानी प्रणाली स्पष्ट हो जिससे की न्यायिक समीक्षा भी आसानी से की जा सके।
- न्यायिक या विधायी निरीक्षण के अभाव में इस तरह की शक्तियाँ न केवल निजता के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्रताओं पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं। यह लोकतांत्रिक भागीदारी को भी प्रभावित कर सकती हैं।
- यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि निगरानी तंत्र निर्विरोध न हो क्योंकि इस तरह के मामले एक ही पक्ष द्वारा न्यायालय में पेश किये जाते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि निगरानी तंत्रों के खिलाफ भी एक वकील होना चाहिए जो वादी के खिलाफ लगाए गये आरोपों का बचाव कर सके।
- उपरोक्त सुझावों को लागू करने के लिए भारत में निगरानी ढाँचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। भारत में लोगों के पास सर्वोच्च न्यायालय की जाने का विकल्प थी। जिसने मौलिक अधिकारों के पक्ष में कड़ा रूख अपनाया है। भारतीय गोपनीयता संहिता ने निगरानी तंत्रों में सुधार के लिए विधायी माडल भी प्रस्तावित किये हैं जिसे आगे बढ़ाने के लिए अब संसदीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

5. स्कूलों में बाल आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति

चर्चा का कारण

हाल ही में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया है कि 'जवाहर नवोदय विद्यालय' में पिछले पाँच वर्षों में (2013-2017) लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या किया है। इस दौरान जिन छात्रों ने आत्महत्या किया, उसमें आधे से अधिक छात्र दलित थे और शेष छात्र आदिवासी समुदाय से संबंधित थे। इस अंग्रेजी अखबार ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत इस सूचना को प्राप्त किया था।

परिचय

यद्यपि चिकित्सा विज्ञान के विकास के शुरूआती दौर से ही आत्महत्या को एक मानसिक विकार के रूप में माना जाता रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है, विशेषकर छात्रों में। समाज में जागरूकता की कमी के कारण छात्र-छात्राएँ इस ओर उन्मुख हो रहे हैं। दूसरी ओर समाज में कुछ लोग इस समस्या के रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर बातचीत करने से भी कतराते हैं।

वर्तमान में विश्व के कुछ ही देशों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं में आत्महत्या के रोकथाम को शामिल किया है और केवल 38 देशों ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति संबंधी रिपोर्ट जारी किया है।

आत्महत्या से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक आँकड़े के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 8,00,000 व्यक्ति आत्महत्या करके मृत्यु का शिकार होते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है।
- वैश्विक स्तर पर 15 वर्ष से लेकर 29 वर्षीय युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या को माना गया है।
- वर्ष 2016 में 79 फीसदी आत्महत्याएँ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं।
- वर्ष 2016 में वैश्विक स्तर पर कुल मौतों में से 1.4 प्रतिशत मौतें आत्महत्या के कारण हुई हैं, जो मौतों के मामले में 18वाँ सबसे बड़ा कारण है।
- वर्ष 2016 में परीक्षाओं में असफल होने के वजह से लगभग 2413 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या किया, अर्थात् प्रत्येक दिन 7 छात्र या छात्राओं ने।

यदि हम यह कहें कि स्कूलों मे बढ़ती आत्महत्या के लिए आज की शिक्षण-प्रणाली काफी हद तक जिम्मेदार है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षण-संस्थानों का प्रमुख कार्य सदैव से छात्रों में चेतना का परिमार्जन करना अर्थात् उन्हें ज्ञानवान बनाना; उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना; उन्हें सामाजिक चुनौतियों से जूझने के लिए तत्पर करना रहा है, परंतु दुर्भाग्य से, कई शिक्षण-संस्थान संसाधन आदि अक्षमताओं के कारण इन जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन कर पाने में सक्षम नहीं हैं।

आज के दौर में बच्चे दिन-प्रतिदिन मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिसकी परिणति के रूप में आत्महत्या और व्यावहारिक बहलाव को देखा जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार, 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के लगभग 12% भारतीय छात्र मनोरोग से पीड़ित हैं।

भारत में स्थिति

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने अपने 2015 के आँकड़ों में एक खुलासा किया है कि भारत में प्रत्येक घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। ऐसा पाया गया है कि बच्चों और युवाओं में भावनात्मक संबंध काफी जटिल होते हैं, जिससे वे आसानी से मनोविकार संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। हालाँकि बच्चों में अवसाद और मानसिक तनाव संबंधी समस्याएँ आनुवंशिक भी हो सकती हैं।

इनके अतिरिक्त आसपास की समस्याओं से भी मानसिक तनाव का जन्म होता है, जो इस तरह के कदम उठाने के लिए छात्रों को उत्तेजित कर सकता है। कुछ प्रमुख कारण जिससे युवाओं के मन में आत्महत्या जैसे कदम उठाने का भाव उत्पन्न हो सकता है, निम्नलिखित हैं-

- धार्मिक भेदभाव
- शारीरिक छेड़छाड़
- नस्लीय भेदभाव
- भावनात्मक संबंधी मुद्दे
- पहचान का संकट
- पारिवारिक समस्याएँ
- वित्तीय समस्याएँ
- मादक पदार्थों की लत
- हार्मोन संबंधी बदलाव आदि।

गौरतलब है कि छात्रों के मन में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन का भाव, प्रेरणा की कमी, सामाजिक रूप से पारस्परिक जुड़ाव का अभाव, छात्रों एवं शिक्षकों के बीच समन्वय का अभाव इत्यादि कारक मानसिक समस्याओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं।

माता-पिता के द्वारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या किये जाने के कुछ अन्य प्रमुख कारण हैं- शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड दिया जाना, शैक्षणिक दबाव, एकतरफा प्रेम, आपसी संघर्ष इत्यादि। ज्यादातर छात्र-छात्राएँ परीक्षा के दौरान आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं।

चूँकि भारत में प्रायः आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर नहीं रहता है और छात्र-छात्राओं की देखभाल करने तथा उन्हें प्रेरित करने की जिम्मेवारी भी शिक्षकों पर ही छोड़ दी जाती है। जबकि शिक्षकों के ऊपर बोर्ड के अच्छे परिणाम देने के लिए पहले से ही काफी दबाव रहता है और उन पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का भी काफी बोझ रहता है। ऐसे में सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर डाल देना भी उचित नहीं है।

आत्महत्या को नियंत्रित करने के उपाय

हम जानते हैं कि आत्महत्या के विचार से ग्रस्त व्यक्ति और वैसे लोग जो उसकी मदद करना चाहते हैं, इन दोनों के बारे में बात करना काफी कारगर हो सकता है। स्कूली स्तर पर छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को शामिल करके एक समूह का निर्माण किया जा सकता है जिससे आत्महत्या की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह काम स्कूल प्रबंधक द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, उसके पश्चात इसमें छात्रों और अभिभावकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

समूह चर्चा एवं वैचारिक आदान-प्रदान

छात्रों से संबंधित कुछ प्रमुख समस्या जैसे- पारिवारिक समस्या, मनोविकार संबंधी समस्या,

पारस्परिक चुनौतियाँ तथा भावनात्मक संबंधी जटिल मुद्दे इत्यादि को हल करने के लिए स्कूलों में एक छोटे समूह का निर्माण करना चाहिए, जिससे उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को हल किया जा सके। यह विदित है कि एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ ही सभी प्रकार के अनुभव साझा करना चाहता है। छात्रों और शिक्षकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके आत्महत्या संबंधी विचार को रोकने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता के बीच पारस्परिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान कर आत्महत्या संबंधी विचार का निवारण किया जा सकता है। स्कूल क्लब और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंध भी छात्रों से जुड़ने का एक जरिया हो सकता है, जिससे उनके अलग-थलग रहने की प्रवृत्ति और अवसाद को आसानी से जाना जा सके।

स्कूल में और स्कूल से बाहर, आपसी संवाद को बढ़ाने के अलावा कुछ अन्य प्रमुख तरीकों को भी खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए।

कार्यशाला एवं पाठ्यक्रम

बच्चों और किशोरों के बीच मित्रवत व्यवहार और उनके जीवन कौशल (Life Skills) को बढ़ाना काफी महत्व रखता है। तनाव कम करने संबंधी कार्यशाला आयोजित करके छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण किया जा सकता है। स्कूली पाठ्यक्रम में सहानुभूति, क्षमा, भावनात्मक नियंत्रण आदि से संबंधित विषयों को अपनाकर छात्रों के समझ को विस्तार करने में मदद मिल सकती है।

प्रोत्साहन एवं निवारण

इसके अलावा कुछ अन्य हस्तक्षेपकारी मुद्दे हैं, जैसे- आत्महत्या संबंधी सोच से मुक्त करना, जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर प्रोत्साहित करना, उनकी देखभाल करना तथा आत्महत्या निवारण के लिए हॉटलाइन नंबर का आसानी से उपलब्ध होना, ताकि ऐसी समस्याओं को आसानी से रोका जा सके। बच्चों को आपस में एक-दूसरे को प्रताड़ित नहीं करने के बारे में भी सीख दी जानी चाहिए, क्योंकि यह केवल आत्महत्या से ही जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है।

स्कूलों में एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समूहों से बात करना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन युवाओं को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। आत्महत्या की समस्या को रोकने के लिए छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को जागरूक करना भी काफी जरूरी है।

परामर्शदाता की उपस्थिति

स्कूल में छात्रों द्वारा किये जा रहे आत्महत्या को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच आपस में वार्तालाप सुनिश्चित हो सके और वे भावनाओं को एक-दूसरे के साथ अभिव्यक्त कर सके। सामाजिक सहायता और आपसी जुड़ाव आत्महत्या को रोकने में एक प्रमुख कारक साबित हो सकता है।

एक्जाम वॉरियर

परीक्षा के दौरान छात्रों का मानसिक तनाव से जूझना एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। छात्रों से माता-पिता के तरफ से परीक्षा परिणाम को लेकर की गयी विभिन्न तरह की उम्मीदें भी उनमें तनाव बढ़ाने का प्रमुख कारक साबित होता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र बेहतर करने के प्रयास में अकसर दबाव महसूस किया करते हैं। इस दबाव के परिणामस्वरूप घबराहट की भावना मन में उभरना लाजिमी है और यह तनाव छात्रों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है।

छात्रों को इसी तनाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक्जाम वॉरियर' (Exam Warrior) नामक एक पुस्तक लिखी है, जो छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य कर सकती है।

इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता और शिक्षकों को परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के 25 उपाय सुझाये हैं। इसमें छात्रों को परीक्षा संबंधी तनाव का सामना करने, परीक्षा के दौरान शांत रहने तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद क्या करना है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के बारे में विस्तार से बताया गया है साथ ही अंकों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय ज्ञान पर ध्यान केन्द्रित करने और भविष्य के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने पर जोर दिया गया है। इस पुस्तक में छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए आसन और अन्य व्यायाम संबंधी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

आत्महत्या रोकथाम के लिए एक मॉडल स्कूल नीति

स्कूल बोर्ड द्वारा एक आत्महत्या रोकथाम नीति को अपनाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। इसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना चाहिए-

- छात्रों को स्वास्थ्य की कक्षा (Health Class) में यह बताया जाना चाहिए कि अपने सहपाठियों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए।
- प्रत्येक स्कूल द्वारा छात्रों के लिए आत्महत्या रोकथाम समन्वयक उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जब कोई छात्र तनाव से ग्रस्त हो तो उसका मूल्यांकन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए।
- ऐसे किसी भी घटना की अतिरिक्त सहायता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर 'हेल्पलाइन नंबर' को अपनाया जाना चाहिए।
- सभी छात्रों से आपस में सम्मानपूर्वक व्यवहार करने जैसी संस्कृति को अपनाया जाना चाहिए।
- छात्रों को यह भी पता होना चाहिए कि यह जीवन और मौत से जुड़ा हुआ विषय है, अतः इसे गोपनीय नहीं रखना चाहिए और एक-दूसरे छात्र की मदद करनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस बढ़ती समस्या का समाधान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में ही अंतर्निहित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, माता-पिता प्रायः अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से इनकार कर देते हैं, जबकि माता-पिता का यह रवैया अविलंब खत्म किया जाना चाहिए। माता-पिता को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चों की मानसिक स्थिति कितनी नाजुक है और इसका आकलन कर पाने में वे सक्षम हैं अथवा नहीं।

अनिवार्य रूप से शिक्षकों को मनोविकार संबंधी लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परामर्श संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों को गोपनीयता और अनुकूल माहौल में अपनी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।

प्रत्येक बच्चे की अवसाद से मुकाबला करने की क्षमता अलग-अलग प्रकार की होती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे की जरूरत के अनुसार, परामर्श कार्यक्रम लचीला होना चाहिए। यदि जरूरी हो तो स्कूल के द्वारा छात्रों को समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता से सलाह उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

परामर्श और चिकित्सा के माध्यम से मानसिक उपचार निश्चित रूप से संभव है। समग्रतः बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अंतर को खत्म करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

6. जेएआई (JAI) और आरआईसी (RIC): एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श के लिए ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर आरआईसी (RIC-RUSSIA-INDIA-CHINA) त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न की। ज्ञातव्य है कि तीनों देशों के बीच करीब 12 साल बाद यह दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता है। वहीं इस बैठक से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली त्रिपक्षीय (JAI-JAPAN-AMERICA-INDIA) बैठक भी संपन्न की।

इस बैठक में भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को साझा आर्थिक-वृद्धि वाला क्षेत्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार, ''जब आप जापान, अमेरिका और भारत के नामों के पहले अक्षर पर जाएंगे तो यह जेएआई (जय) है और इसका मतलब हिंदी में सफलता होता है।''

परिचय

आरआईसी (RIC) एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह है जिसमें तीन यूरेशियाई देश सम्मिलित हैं जो संयोगवश भौगोलिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरआईसी देशों में वैश्विक भू-भाग का 19 प्रतिशत से अधिक समाहित है तथा इनका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत से अधिक योगदान है। तीनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं जिनमें रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जबकि भारत इस ओर प्रयासरत है।

हालाँकि भारत और चीन के मतभेद जग-जाहिर हैं लेकिन इस तिकड़ी को एक समूह में बाँधे रखने के लिए रूस की भूमिका महत्वपूर्ण है जो भारत का मजबूत साझेदार है। अन्य शब्दों में रूस, भारत और चीन के बीच एक सेतु का कार्य करता है क्योंकि रूस का चीन और भारत दोनों के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण है। इसके अलावा, आरआईसी की संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्रिक्स दोनों में भागीदारी भी है।

जापान-अमेरिका-भारत (JAI)

हाल के वर्षों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय मित्रता बढ़ी है। खास तौर पर वर्ष 2015 में JAI की स्थापना के बाद जब जापानी सेना को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया। दिसंबर 2011 में तीनों देशों ने चीन को लेकर बढ़ती साझा चिंताओं के संदर्भ में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी।

वर्ष 2015 में इस त्रिपक्षीय वार्ता को विदेशमंत्री स्तर तक विस्तारित किया गया था। वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया, जिसने नई दिल्ली की अमेरिकी सहयोगी के रूप में कुछ संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सुनिश्चित की। वहीं वर्ष 2008 में, टोक्यो और नई दिल्ली ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था तभी से इनके रणनीतिक और रक्षा सहयोग और मजबूत हुए हैं।

- ये तीनों देश सुदृढ़ लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं तथा आने वाले समय में भी इनसे विश्व शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी।
- भारत, जापान और अमेरिका ने इंडिया-प्रशान्त क्षेत्र (Indo-Pacific Region) की शांति और समृद्धि के लिए सिद्धान्तों पर आधारित, खुले, मुक्त एवं समावेशी विकास पर अपनी सहमति व्यक्त की है।
- इन देशों ने अनेक क्षेत्रों में समावेशी और खुलेपन के महत्व पर काम करने के लिए बल दिया है- जैसे कनेक्टिविटी, सतत विकास, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा तथा निर्बाध आवाजाही आदि।

जेएआई और भारत

वर्तमान में भारत के लिए जेएआई शायद अधिक महत्वपूर्ण और परिणामी समूह है। इसका औचित्य इस बात में निहित है कि यह पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी शक्ति पर प्रभावी संतुलन को बनाये रखने में उपयोगी साबित होगा। भारत के लिये जेएआई इन मुद्दों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है।

टोक्यो भारत की अवसंरचना योजनाओं में एक प्रमुख निवेशक रहा है और यह नई दिल्ली को दक्षिण एशिया में संचालित नई परियोजनाओं में भागीदार बनाना चाहता है। हालाँकि, जापान पहले से ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए सहायता प्रदाता रहा है, अतः नई दिल्ली को दक्षिण एशिया में जापान द्वारा संचालित योजनाओं में भागीदारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञातव्य है कि इंडो-जापानी एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर अभी भी अधर में लटका हुआ है जिसको जेएआई के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि हिन्द महासागर में चीन, भारत को चुनौती देने वाला है, अतः भारत

को इस चुनौती से निपटने के लिए नौसेना को सशक्त करना होगा। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक की भारत एक उच्च आर्थिक समृद्धि को न प्राप्त कर ले। अमेरिका भी प्रशान्त और हिन्द महासागर में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है अत: भारत के लिए हिन्द महासागर में अमेरिका के साथ साझेदारी करना चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का एक व्यावहारिक हल हो सकता है जिसमें कि जेएआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जिसका आर्थिक उदय, लोकतांत्रिक लचीलापन, सांस्कृतिक पदचिह्न तथा बढ़ती सैन्य ताकत इस अस्थिर क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

रूस-इंडिया-चीन (RIC)

रिक (RIC) लगभग डेढ़ दशक पहले उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के आपसी समन्वय और सहयोग के मंच के रूप में अस्तित्व में आया था जिसकी कल्पना वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री 'येवगेनी प्रिमकोव' द्वारा की गई थी। बाद में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ये पहल ब्रिक्स के रूप में विकसित हुई। उसके बावजूद इन तीनों देशों ने वार्ता और विमर्श के लिए इस मंच को कायम रखा। हालाँकि इस बार की बैठक लम्बे अंतराल के बाद हुई लेकिन इस बैठक में तीनों देशों ने संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर नियमित रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों में बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक शासन में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है। साथ ही वैश्विक आर्थिक प्रशासन को चलाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

- आरआईसी के माध्यम से रूस यह दर्शा सकता है कि पश्चिमी देश भले ही रूस के साथ असहयोग कर रहे हों लेकिन उसके पास अभी भी भारत और चीन जैसे दोस्त मौजूद हैं।
- आरआईसी चीन के लिए एक मंच की तरह है जिससे कि चीन यूरेशिया में अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है।
- वहीं भारत के लिए आरआईसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारत के लिए पूर्वी एशिया की छोटी शक्तियों से लेकर रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों से अपने संबंध मजबूत करने का एक मंच भी है।
- अगर यूरेशिया उपमहाद्वीप वैश्विक मामलों में अपनी प्रधानता हासिल करता है तो इन तीनों देशों में कुछ मतभेद भी उभरकर सामने आयेंगे। ऐसे में आरआईसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करने तथा आपसी मतभेदों को समझने के लिए एक मंच के रूप में उपयोगी साबित होगा।
- ऊर्जा का प्रमुख निर्यातक होने के नाते रूस तथा प्रमुख उपभोक्ता होने के नाते भारत और चीन एक एशियाई ऊर्जा ग्रीड का निर्माण कर सकते हैं जिससे ये लंबे समय तक उचित मूल्य निर्धारित कर ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही अन्य एशियाई देशों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण ऊत्तरी सागर जलमार्ग (आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण) खुलने जा रहा है जिसमें आरआईसी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी जो यह सुनिश्चित कर सकेगा कि यह रास्ता केवल पश्चिमी देशों तथा रूस के लिए ही नही है बल्कि इसमें भारत और चीन भी हितधारक के रूप में उचित दावेदार है। इस प्रकार नये मार्गो पर क्षेत्रीय संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
- भले ही भारत, चीन और रूस यूरेशिया में अनेक सुरक्षा मुद्दों पर असहमत हों लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उनके विचार समान हैं, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान को लिया जा सकता है। दरअसल ये तीनों देश यह नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान आतंकवाद का अड्डा बने। इस तरह ये देश आरआईसी के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थायी शांति बहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, साथ ही इसका विस्तार मध्य एशिया में भी किया जा सकता है।
- अमेरिका, ट्रम्प प्रशासन के अंतर्गत वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ना चाहता है क्योंकि मौजूदा वैश्विक ढ़ांचा संतोषजनक नही है। इस परिप्रेक्ष्य में आरआईसी कुछ सुझाव दे सकता है जो अमेरिका को भी स्वीकार हो सकता है।
- नियमित रूप से आरआईसी की बातचीत तीनों देशों को अन्य मुद्दों की पहचान करने में मदद करेगा जैसे- पश्चिम एशिया में व्याप्त अस्थिरता पर इनके समान विचार, विशेष रूप से ईरान पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे।
- त्रिपक्षीय बैठक ऐसे समय में संपन्न हुई है जब चीन का, दक्षिणी चीन सागर में अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद गर्म है, साथ ही पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ विवाद किसी से छिपा हुआ नहीं है। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों ही क्षेत्र खनिज, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं।

आरआईसी और भारत

वर्तमान समय में भारत को दो भू-राजनैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला- एशिया प्रशांत क्षेत्र में नये-नये बहुपक्षीय समीकरणों का उदय हो रहा है तथा दूसरा- चीन तथा विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन है।

भारत वैश्विक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है जो आने वाले समय में दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता, की बढ़ती जरूरत जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, भ्रष्टाचार तथा आपदा प्रबंधन जैसी चिंताओं का सामना भारत भी कर रहा है। हालांकि आरआईसी की बैठकें विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत बनाने और इंडो-पैसिफिक जैसे नये विचारों पर आम सहमति बनाने में भारत की इच्छा-शक्ति का प्रतिबिंब है।

कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर पश्चिमी देशों का नेतृत्व सिमट रहा है, नये समूह और गठजोड़ उभर रहे हैं वहीं आर्थिक रूप से शक्तिशाली चीन विश्व स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर को लेकर भारत तथ पाकिस्तान के बीच चल रहा विवाद तथा चीन के साथ हालिया सीमा विवाद भारत की सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिसके निपटारे में रिक जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

आगे की राह

महाद्वीपीय और समुद्री शक्ति के रूप में, भारत की यूरेशिया में रुचि है जिसे अब इंडो-पैसिफिक कहा जाता है। यही RIC तथा SCO समूहों के साथ-साथ JAI तथा QUAD में भारत की भागीदारी का महत्वपूर्ण सार है।

हालाँकि दोनों संगठन सैन्य गठबंधन का परिणाम नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक रूप से बने गठबंधन हैं। भविष्य में इन संगठनों के क्या परिणाम आयेंगे ये अभी किसी को ज्ञात नहीं है, अत: भारत को संभलकर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत को एक 'स्विंग स्टेट' कहा जाता है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसका निर्णय क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर समान रूप से प्रभाव नहीं डालता है। चीन, रूस और अमेरिका जैसी स्थापित शक्तियाँ एक प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी संबंधों से बंधी हैं जो थोड़े समय में नहीं बदल सकती हैं। हालाँकि भारत जैसे देश का इन महान शक्तियों के साथ कुछ विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं लेकिन इसमें सहयोग के भी अनेक बिन्दु मौजूद हैं। भारत के प्रभाव को भले ही कमतर आंका जाता है फिर भी यह व्यापार, मानवाधिकार, वित्त या समुद्री सुरक्षा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करता है।

नई दिल्ली को इस क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति (स्विंग स्टेट) को अधिक मजबूत करना होगा। भारत के इसी नीति को पहले गुट निरपेक्ष कहा जाता था। लेकिन अब इस नीति को बहुगुट निरपेक्ष और रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। भारत, जापान और अमेरिका इस बात से भलीभाँति अवगत है कि वो चीन को विश्व शक्ति के रूप में उभरने से नहीं रोक सकते क्योंकि अमेरिका और जापान की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार संलग्न है कि यदि चीन पर कोई प्रतिबंध लगता है तो न सिर्फ दक्षिण एशिया के देश बल्कि यूरोपीयन देश भी प्रभावित होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जापान भारत और अमेरिका द्वारा चीन को विश्वास में लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और यही समय की मांग भी है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

7. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण: क्या एक उचित समाधान

चर्चा का करण

हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिये बैंक पुनर्पूंजीकरण परिव्यय (Bank Recapitalisation Outlay) को चालू वित्त वर्ष में 65 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा है। विदित हो कि सरकार ने 2018-19 में सरकारी बैंकों में 65 हजार करोड़ रुपए की पूँजी डालने की घोषणा की थी। इसमें से 23 हजार करोड़ रुपए की पूँजी पहले ही डाली जा चुकी है और 42 हजार करोड़ रुपए शेष बचे हैं। अब सरकार ने उक्त राशि के अलावा 41 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी डाले जाने के संबंध में संसद की मंजूरी मांगी है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डाली जाने वाली पूंजी बढ़कर 83 हजार करोड़ रुपए हो जाएगी।

प्रस्ताव का उदेश्य

1. पूँजी से जुड़े नियामकीय मानकों को पूरा करना।
2. बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीसीए बैंकों को 9% पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) प्राप्त करने के लिए पूंजी प्रदान करना।
3. इसके अलावा, 1.875 प्रतिशत के पूंजी संरक्षण बफर और 6 प्रतिशत की निवल (Net) NPA से जुड़ी कुछ सीमाओं के उल्लंघन की स्थिति में आ चुके निजी बैंकों को सुविधा देना, ताकि वे उल्लंघन से बच सकें।
4. सरकार का एक अन्य उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी से बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करके 4 से 5 बैंकों को (Prompt Corrective Action-PCA) फ्रेमवर्क से बाहर लाना भी है।

पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता क्यों?

पुनर्पूंजीकरण को किसी वित्तीय समस्या से उबरने या अपने वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसको अपनाने के निम्न कारण रहे हैं जैसे-

- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की बढ़ती मात्रा के कारण पूंजी की क्षतिपूर्ति के लिए।
- बासेल III मानदंडों के तहत उच्च पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी के साथ क्रेडिट जरूरतों का विस्तार करने के लिए।
- इसके साथ ही सरकार की पीएसबी के शेयरों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है, जिस कारण उन्हें पूंजी जोड़ने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।

उपर्युक्त हालातों के संदर्भ में सरकार द्वारा इक्विटी निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। यहाँ सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-

सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण के प्रयास

चाहे कारोबार शुरू करना हो, उसे विस्तार देना हो या किसी तात्कालिक वित्तीय परेशानी से उबारना हो, ऐसी प्रत्येक दशा में व्यवसायियों तथा कंपनियों के लिए प्रमुख स्रोत बैंक ही होते हैं, लेकिन बीते कई सालों से देश का बैंकिंग-तंत्र 'बैड लोन' की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। बैंकों द्वारा विगत वर्षों में अत्यधिक मात्रा में कर्ज बांटे गये पर उसकी वसूली निर्धारित अवधि में नही की जा सकी। इस कर्ज की रकम का कुछ हिस्सा लगातार एनपीए (गैर निष्पादक परिसंपत्ति) में तब्दील हो रहा है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए सरकार वर्तमान में बजट के माध्यम से धन उपलब्ध कराकर पुनर्पूंजीकरण कर रही है। विनिवेश से प्राप्त धन का एक महत्वपूर्ण भाग पुनर्पूंजीकरण के लिए पीएसबी में डाल दिया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (2017) के अनुसार, सरकार ने 2008-09 से 2016-17 के बीच पीएसबी में 1,18,724 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वही सरकार ने 24 अक्टूबर, 2017 को तीन चैनलों- बजट, बाजार ऋण और पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करने के लिए एक प्रमुख पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा की। योजना के अनुसार, कुल 2.11 खरब रुपये पीएसबी को दिया गया ताकि वे जल्द से जल्द एनपीए की समस्या से निपट सकें। इससे सरकारी बैंकों को अपने घटते मुनाफे की चिंता से उबरने में और नये लोन देने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम को पहले किये गये उपायों के पूरक के रूप में देखा जा सकता है।

इस पुनर्पूंजीकरण प्रयास के तहत फंड जुटाने के तीन तरीके अपनाये गये हैं-

- **बजटीय आवंटन:** इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के 18,000 करोड़ रुपये के शेयरों को खरीदेगी।

- **बाजार ऋण:** पीएसबी उधार के माध्यम से बाजार से 58,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे।
- **पुनर्पूंजीकरण बाँड:** सरकार 1,35,000 करोड़ रुपये के बैंक पुनर्पूंजीकरण बाँड जारी करेगी, जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक शेयर खरीदने के लिए किया जाएगा।

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	
वित्तीय वर्ष	**पुनर्पूंजीकरण (करोड़ों में)**
2008-09	1900
2009-10	1200
2010-11	20117
2011-12	12000
2012-13	12517
2013-14	14000
2014-15	6990
2015-16	25000
2016-17	25000
कुल	**118724**

पीसीए फ्रेमवर्क (Prompt Corrective Action- PCA)

1980 और 1990 का शुरूआती दशक बैंकों के लिए बहुत तनाव और उथल-पुथल का था। उस समय पूरी दुनिया में वित्तीय स्थितियाँ डँवाडोल थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) द्वारा प्राप्त 1,600 से अधिक वाणिज्यिक और बचत बैंक इस अवधि के दौरान या तो बंद थे या उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही थी। असफल संस्थानों द्वारा किया गया संचयी घाटा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया था। भारत भी इन सबसे अछूता न था। इन घटनाओं के लिए उचित पर्यवेक्षी रणनीतियों की खोज का नेतृत्व किया गया। चूँकि बैंकिंग तंत्र की विफलता अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती थी, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक ठीक से काम करे रिजर्व बैंक ने समय-समय पर गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क बनाया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (Prompt Corrective Action- PCA) इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है, जो किसी बैंक की वित्तीय स्थिति का पैमाना तय करता है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बैंकों को कुछ जोखिमपूर्ण गतिविधियों को छोड़ने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने और उन्हें मजबूत करने के लिये व पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करना है। यह फ्रेमवर्क समय-समय पर हुए बदलावों के साथ दिसंबर, 2002 से चल रहा है। यह सभी व्यावसायिक बैंकों सहित छोटे बैंकों तथा भारत में शाखा खोलने वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू होता है।

गौरतलब है कि बैंकों को पीसीए के दायरे में तब रखा जाता है जब आरबीआई को यह संदेह होता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिये पर्याप्त पूंजी नहीं है तथा उधार दिये गए धन से आय नहीं हो रही और लाभ भी नहीं मिल रहा। किसी बैंक को पीसीए में इसलिए डाला जाता है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये तत्काल कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में रिजर्व बैंक ने देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी बैंक को पीसीए में रखे जाने से ग्राहकों पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीआई ने बेसल मानकों के अनुरूप बैंकों की वित्तीय सेहत दुरुस्त रखने के लिये ही पीसीए फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि बैंक अपनी पूंजी का सदुपयोग कर सकें तथा जोखिम का सामना करने को तैयार रहें।

पीसीए बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव

- आरबीआई इंडिकेटर्स के आधार पर बैंकों को अलग-अलग श्रेणी में बांटता है।
- जो बैंक श्रेणी-2 में रखे जाते हैं, वे कोई नई शाखा नहीं खोल पाते और न ही उधार दे पाते हैं।
- वे ऊँची ब्याज दर पर जमा राशि भी नहीं ले सकते।
- इनमें नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी जाती है।
- आरबीआई इनका स्पेशल ऑडिट करता है। इन बैंकों के मालिकों तथा प्रमोटरों को और अधिक राशि लगानी पड़ती है।

हाल ही में संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ

- इस नये संशोधित फ्रेमवर्क में भी पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदाता निगरानी के प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे।
- पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदाता के लिए जिन सूचकों पर विचार किया जाएगा, वे क्रमशः सीआरएआर (Capital to risk weighted assets ratio) या कॉमन ईक्विटी टियर-I अनुपात, नेट एनपीए अनुपात और परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स) होंगे।
- पीसीए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में अतिरिक्त निगरानी के तौर पर लीवरेज की निगरानी की जाएगी।
- जोखिम संबंधी किसी प्रारम्भिक (threshold) सीमा के उल्लंघन पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क को लागू किया जा सकेगा।

चार R की अवधारणा

सरकार द्वारा आरंभ की गयी 'चार R' की अवधारणा भी बैंकिंग प्रणाली को सशक्त करने पर बल देती है। ताकि बैंक अपनी पूंजीगत समस्याओं को समाप्त कर एवं अधिक पूँजी प्राप्त कर अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर कर सकें। इसके तहत जिन 4 R को अपनाया गया है, उनसे तात्पर्य है-

1. पहचान करना (Recognition)
2. समाधान (Resolution)
3. पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation)
4. सुधार (Reform)

गौरतलब है कि सरकार द्वारा गत् वर्षों में इसके माध्यम से कई उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- इस वर्ष की प्रथम छमाही में पीएसबी ने रिकॉर्ड तौर पर 60,726 करोड़ रुपए की रिकवरी की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई रिकवरी राशि की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए (NPA) मार्च 2018 में उच्च स्तर प्राप्त करने के बाद घटने लगा है। विदित हो कि प्रथम छमाही के दौरान इसमें 23,860 करोड़ रुपए की कमी आयी है। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 31 से 90 दिन तक वाले गैर-एनपीए खाते में लगातार 5 तिमाहियों के दौरान 61 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह जून 2017 के 2.25 लाख करोड़ रुपए से घटकर सितंबर, 2018 में 0.87 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया, जिसके कारण जोखिम वाले ऋणों में काफी कमी आई है।
- जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रोविजन कवरेज अनुपात की बात करें तो यह मार्च 2015 के 46.04 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 66.85 प्रतिशत तक पहुँच गया जिससे बैंकिंग नुकसान को कम करने संबंधी बैंकों की क्षमता बढ़ी है।

इंद्रधनुष 2.0 केंद्रीय पुनर्पूंजीकरण योजना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकार ने 2015 में इंद्रधनुष 2.0 नामक योजना शुरू की।

यह योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का एक समग्र कार्यक्रम है, जिससे बैंकों को बेसल-III नियमों के तहत अपनी पूँजीगत स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैश्विक जोखिम मापदंड बेसल-III के लिए आवश्यक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है।

बेसल-III नियम

बेसल-III मानकों को 3 दिसंबर 2010 में जारी किया गया था और यह बेसल समझौते की श्रृंखला का तीसरा चरण है। ये समझौते बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन पहलुओं से जुड़े हुए हैं। (बेसल-I और बेसल-II इसके पूर्व के संस्करण थे लेकिन कम कठोर थे)। ये मानदंड 31 मार्च 2015 से कई चरणों में लागू हो चुके हैं परन्तु 31 मार्च 2018 से इन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया गया।

बेसल समिति की बैंकिंग निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिये मूल पूंजी आवश्यकता को बेसल-III नियमों की तुलना में एक प्रतिशत अधिक रखा हुआ है। भारतीय बैंकों को साझा इक्विटी टियर-1 को 5.5 प्रतिशत रखना होता है, जबकि बेसल-III नियमों के तहत यह 4.5 प्रतिशत होनी चाहिये। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊँची पूंजी पर्याप्तता नियमों के कारण बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होती है, जिससे उनकी कर्ज देने और आय बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है।

बेसल-III किस बारे में है?

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के अनुसार, ''बेसल-III सुधारात्मक उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बेसल समिति ने, बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया है।''

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि बेसल-III बेसल समिति द्वारा बेसल-I और बेसल-II के तहत बैंकिंग नियामक रूपरेखा में सुधार हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षक के तौर पर शुरू किए गए प्रयासों का अगला कदम है। यह नवीनतम समझौता वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है।

बेसल-III मानदंड का भारतीय बैंकों पर प्रभाव

- बेसल-III, जिसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
- अनुमान के अनुसार भारत के बैंकों को आगामी नौ वर्षों या 2020 (संगठन के अनुसार अनुमान बदल सकते हैं) तक बाहरी पूंजी को 6,00,000 करोड़ रुपये करने की जरूरत होगी। इस हद तक पूंजी का विस्तार इन बैंकों (खासकर निजी क्षेत्र के बैंक) के इक्विटी रिटर्न्स को प्रभावित करेगी।
- हालांकि, भारतीय बैंकों के लिए सिर्फ यही राहत की बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने न्यूनतम नियामक के दायरे में रहते हुए अपने मूल और समग्र पूंजी तक पहुंच को बनाए रखा है।

सुधार एजेंडाः ईएएसई (EASE)

सुधार एजेंडा ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व के छः मूल विषयों पर आधारित है। इन मूल विषयों में उत्तरदायी बैंकिंग, ऋण बढ़ोत्तरी, उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण तथा ब्रांड पीएसबी के लिए कार्मिकों को तैयार करना शामिल है।

> हाल ही में केन्द्र सरकार ने छोटे वित्त और भुगतान बैंकों को अटल पेंशन योजना शुरू करने की अनुमति दी है। साथ ही दस छोटे वित्त बैंकों और ग्यारह भुगतान बैंकों को रिजर्व बैंक ने देश में बैंकिंग करोबार शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है।

पुनर्पूंजीकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा?

- यह सुधार पैकेज वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने के बारे में गहनता से विचार करता है क्योंकि पिछले कई दशकों से, वित्तीय समावेशन का बोझ पीएसबी पर काफी अधिक बढ़ गया है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक, बड़े और मझोले शहरी केंद्रों के ग्राहकों की सेवा पर ही केंद्रित रहे हैं।
- यह सुधार पैकेज एमएसएमई को समर्थन देने के लिए बैंकों की जरूरतों के बारे में भी विचार करता है।
- नए मानदंडों ने बैंकों व इनके निदेशक मंडल पर प्रदर्शन का दबाव बढ़ाया है ताकि ऐसे संकट का दोहराव न हो। साथ ही इन बैंकों को पर्याप्त मात्रा में पूँजी मिल सके।
- इसके साथ ही उम्मीद है कि कर्ज में फंस चुके बड़े खाता धारकों की समस्या के समाधान और परिचालन में सुधार से स्थिति बेहतर होगी और उन्हें बेहतर कीमत मिल पाएगी।
- सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि सभी बैंक न्यूनतम नियामकीय पूँजी की जरूरतों को पूरा करें।
- पुनर्पूंजीकरण की योजना क्रेडिट के लिहाज से सकारात्मक है।
- इससे सेवा शर्तों व निगरानी कारोबार में और अनुशासन लाया जा सकता है।
- ग्लोबल रेटिंग कंपनी फिच का मानना है कि इससे जोखिम घटाने में मदद मिलेगी, जिसका सामना भाारतीय सरकारी बैंक, कमजोर संपत्ति गुणवत्ता व कमजोर आय के चलते कर रहे हैं। हालाँकि पूरा जोखिम समाप्त होने में वक्त लगेगा।

आगे की राह

समग्रतः वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकिंग प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस संदर्भ में यहाँ निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- पुनर्पूंजीकरण के साथ सरकार को जरूरत है कि बैंकिंग क्षेत्र में फैली अनियमितता को ठीक करे।
- एनपीए की समस्या का समाधान हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे बैंकों को पूँजी मुहैया कराने के साथ उनके बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान दे, ताकि 'बैड लोन' जैसी मुसीबतें न बढ़ सकें तथा बैंक बोझ की चिंता से मुक्त होकर नयी खाता-बही के साथ वित्तीय काम को अंजाम दें। साथ ही, फंसी हुई रकम को निकालने के लिए किये जा रहे प्रयासों को भी तेज करने की जरूरत है।
- पुनर्पूंजीकरण जैसे आसान तरीके को न तो हर बार सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए और न ही बैंकों द्वारा हर बार इसकी माँग की जानी चाहिए। इसका दीर्घकालिक समाधान यह है कि बैंकों को खुद से पूँजी अर्जित करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। साथ ही अपनी सम्पत्तियों को गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति (NPA) होने से भी बचाना होगा।
- बोर्ड को अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है तभी निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पीएसबी (PSB) काफी मजबूत हो पाएंगे।

- सरकार को बैंकों की रैंकिंग के लिए ईएएसई (EASE) (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) जैसे सूचकांक लेकर आना चाहिए जैसे इससे पीएसबी की सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी क्योंकि स्वतंत्र एजेंसियां सुधारों पर सालाना पीएसबी का मूल्यांकन और रैंकिंग करेंगी।

संक्षेप में, यह एक स्वागत योग्य पहल है लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पहले से निपटा जाना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि इस पूंजी को लगाने के बाद, सरकार की इक्विटी प्रत्येक पीएसबी (PSB) में 70-80% के करीब होगी। सरकार पीएसबी के प्रबंधन में सुधार के बाद इस इक्विटी को बेचकर बहुत बड़ा लाभ कमा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

कॉम्बैट रोल में महिलाओं को शामिल करने की चुनौती

प्र. भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत का मानना है कि सेना में महिलाएँ अभी कॉम्बैट रोल के लिए तैयार नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति
- कॉम्बैट रोल और महिलाएँ
- पक्ष में तर्क
- विपक्ष में तर्क
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का मानना है कि सेना में महिलाएँ अभी कॉम्बेट रोल (लड़ाकू भूमिका) के लिए तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार अगर महिलाओं को युद्ध मिशन के लिए भेजा जाएगा तो उनके साथ शत्रु सेना के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक बर्बरता किये जाने की संभावना है।
- साथ ही अगर सेना में एक लेडी ऑफिसर है तो उस लेडी ऑफिसर के लिए अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे अर्थात उन्हें जिस तरह की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होगी वे अभी तैयार नहीं हैं।
- जनरल रावत ने महिलाओं के कुछ बायोलॉजिकल जरूरतों को भी इसकी एक वजह बतायी उनके मुताबिक इसके अलावा महिलाओं पर बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी होती है।

परिचय

- प्राचीन समय से ही महिलाओं ने रण क्षेत्र में अपनी भूमिका को सिद्ध किया है। विभिन्न राजवंशों के तहत महिलाओं ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इसके अलावा विभिन्न राजवंशीय नियमों से गुजरते हुए महिलाओं को न केवल संघर्ष करना पड़ा बल्कि विदेशी शक्तियों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में खुद को बलिदान भी करना पड़ा। ऐसी प्रमुख हस्तियों में रजिया सुल्तान, रानी पद्मावती, झांसी की रानी तथा रानी गैडनल्यु आदि हैं।
- वर्तमान समय में भी महिलाओं ने अपनी क्षमता, योगदान तथा उपलब्धियों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनायी है।

सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

- **भारतीय संदर्भ में:** इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है। सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है। वायुसेना में तो महिलाएँ लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं, जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है लेकिन थल सेना में महिलाएँ अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं दिखती हैं।
- **विश्व के संदर्भ में:** दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां महिलाएँ युद्ध का नेतृत्व करती हैं। जुलाई 2016 में, प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने ब्रिटिश सेना में युद्ध के मैदान में आमने-सामने लड़ने वाली इकाइयों में सेवारत महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया।
- अमेरिकी सेना में, महिलाएँ इराक और अफगानिस्तान युद्धों के परिणामस्वरूप, 2002 से प्रत्यक्ष युद्ध में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

पक्ष में तर्क

- भारतीय वायु सेना ने पिछले वर्ष जुलाई में तीन महिलाओं- मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ को पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया। भारतीय नौसेना ने भी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की पेशकश की है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से 7 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने से हुई।
- वर्तमान समय में महिलाएं विमानन और सह-सीमा-सुरक्षा बटालियनों से लेकर युद्ध क्षेत्र, चिकित्सा तथा वायु सेना में विभिन्न लड़ाकू ईकाइयों में कार्यरत हैं।

विपक्ष में तर्क

- सेना में सेवा करने के लिए मजबूत होना जरूरी नहीं है लेकिन वह मानक जो पुरुषों के लिए बनाये गये हैं वैसा ही मानक महिलाओं के लिए भी होना चाहिए तथा शारीरिक मानकों से कोई समझौता नही किया जाना चाहिए।
- सामान्य रूप से हमारा शहरी समाज महिलाओं के प्रति ज्यादा जागरूक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बंदिशों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं जो शायद महिला अधिकारियों के साथ सहज महसूस नहीं करते हों।

आगे की राह

- वास्तव में, चुनौतियां बहुत सारी हैं जिनसे एक-एक कर व्यावहारिक तौर पर निपटते हुए महिलाओं की भर्ती की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया विकसित करनी होगी। सिद्धांततः लड़ाकू भूमिका में कोई महिला लैंगिक आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मांग सकती।
- महिलाओं के लिए भी शारीरिक मानक वही होंगे जो लड़ाकू भूमिकाओं के लिए किसी आम सैनिक से अपेक्षित होते हैं। परंतु, प्रशासनिक/संस्थागत नीतियों के जरिए मातृत्व अवकाश के उनके अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ■

इंडोनेशिया में सुनामी का नया स्वरूप

प्र. अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केन्द्र के अनुसार इंडोनेशिया में आयी सुनामी एक दुर्लभ घटना है क्योंकि इस सुनामी का कारण भूकंप न होकर ज्वालामुखी विस्फोट था। इस संदर्भ में ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों तथा उसके प्रभावों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सुनामी क्या है?
- सुनामी के प्रकार
- सुनामी का प्रभाव
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुंडा जलसंधि के निकट आई भीषण सुनामी में लगभग 373 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए।
- ज्ञातव्य है कि इंडोनेशिया में पिछले छह महीने के भीतर यह तीसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। सितंबर में आये भूकंप और सुनामी के कारण 2,200 लोगों की जान गई थी तथा जुलाई में आए भूकंप में 556 लोगों की मौत हुई थी।

सुनामी क्या है?

- सुनामी शब्द जापानी भाषा के दो शब्द 'सू' और 'नामी' से बना है। 'सू' का अर्थ होता है बंदरगाह और 'नामी' का अर्थ होता है तरंग, जिसका अभिप्राय जापान में बंदरगाह की लहरों से है।
- सुनामी जल की लहरों की श्रृंखला से मिलकर बनी एक प्राकृतिक घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब समुद्र या झील में जल का व्यापक मात्रा में तेजी से विस्थापन होता है। इस शब्द की रचना उन मछुआरों ने की जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद बंदरगाह को उजड़ा हुआ देखा था।

सुनामी के प्रकार

- **दूरस्थ सुनामीः** यह तट से दूर लम्बे रास्ते में उत्पन्न होती है, जैसे कि चिली और प्रशांत के बीच का क्षेत्र।
- **क्षेत्रीय सुनामीः** यह अपने गंतव्य से दूर, एक से तीन घंटे की यात्रा समय के बीच उत्पन्न होती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी करमाडेक गर्त में पानी के नीचे ज्वालामुखी उद्‌गार क्षेत्रीय सुनामी उत्पन्न कर सकती है।
- **स्थानीय सुनामीः** यह तट के बहुत ही करीब उत्पन्न होती है। इस प्रकार की सुनामी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि चेतावनी जारी करने के लिए केवल कुछ मिनटों का ही समय मिलता है।

सुनामी का प्रभाव

- समुद्र के अंदर आये इस विनाशकारी सुनामी से इंडोनेशिया और थाइलैण्ड में 100 मी. की ऊँची समुद्री लहरें उठी थीं, जिससे कई शहरों का विनाश हो गया था।
- सुनामी से प्रभावित 14 देशों में करीब ढाई लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के वादा अंक में हुआ था।
- इस आपदा से लाखों लोग विस्थापित हुए थे तथा लगभग 4 लाख 80 हजार घरों को नुकसान पहुँचा था।
- यदि भारत के संदर्भ में देखें तो इस आपदा से भारत में लगभग 11 हजार लोगों की मौत हो गई थी तथा लगभग 6000 लोग लापता हो गये थे।
- भारत में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्रप्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु में कड्डलोर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ था।

सरकारी प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी पद्धति की शुरूआत 1965 में शुरू की गई थी। इसका संचालन राष्ट्रीय महासागरीय और वातावरणीय प्रशासन (NOAA) द्वारा किया जाता है।
- पहला, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) होता है। ये जिला कलेक्टर के अधीन काम करती हैं।
- दूसरे स्तर पर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) होती है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये सभी एजेंसियाँ समय-समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी की स्थिति में हालात से निपटने के लिए रोडमैप भी तैयार करती हैं।

चुनौतियाँ

- अकसर प्राकृतिक आपदा के आगे इंसानी तैयारियाँ बौनी साबित हो जाती हैं।
- कई बार राहत पहुँचाने में देरी और समुचित सहायता भी समय से नहीं पहुँच पाती है।
- समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जागरूकता का अभाव है।
- सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए बने सूचना केन्द्र और अन्य सहायक केन्द्र का सही ढंग से कार्य न करना।

आगे की राह

- ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आने से पहले जानवरों को आभास हो जाता है और वे समुद्र क्षेत्रों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाते हैं। पहली बार जानवरों के इस व्यवहार को यूरोप में लिस्बन में भूकंप के कारण उत्पन्न हुई सुनामी के समय रिकॉर्ड किया गया था। कई शोधकर्ता सुनामी और कई अन्य प्राकृतिक आपदा को पहले से महसूस करने की जानवरों की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जानवरों की इस असाधारण क्षमता का लाभ उठाकर प्राकृतिक आपदा का पुर्वानुमान लगाया जा सके। ■

न्यायिक आचरण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता

प्र. ''न्यायाधीशों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रभावित बयान देने से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाता है।'' कथन की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ
- संवैधानिक प्रावधान
- भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का विश्लेषण
- विधिक संस्कृति के समक्ष संकट
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस.आर. सेन ने कहा है कि 'यदि कोई व्यक्ति देश के कानून और संविधान को नहीं मानता है तो उसे कोई हक नहीं है भारत के नागरिक रहने का।'
- जस्टिस एस.आर. सेन के इस बयान की संविधान के दायरे में रहकर बड़े स्तर पर आलोचना भी की गयी। यह बयान भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक बार फिर से इस प्रश्न को खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय न्यायालय और न्यायाधीश किसी मामले के निर्णय तक पहुँचने में उतने निष्पक्ष हैं जितना कि भारत जैसे एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक देश में उम्मीद की जाती है?

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई नई अवधारणा नहीं है, परंतु इसका अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। इस अवधारणा का आशय मूल रूप से 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत' से जुड़ा हुआ है।
- जबकि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है- कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। परंतु इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि न्यायपालिका एक संस्थान के रूप में इन दोनों संस्थानों (कार्यपालिका और विधायिका) से अलग हों बल्कि वैचारिक एवं आत्मीय रूप से भी अलग हों। हालाँकि इन मामलों में न्यायपालिका स्वयं को बहुत हद तक इन स्तरों पर अलग नहीं कर पाया है।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 एवं 227 द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गयी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 9 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की ''आत्मा'' (Soul) और ''विवेक'' (Conscience) है जिसके अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार (Remedy) का प्रावधान किया गया है।

भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का विश्लेषण

- संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जो मुख्यतः प्रथम दो अर्थों में न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे- पहला, न्यायपालिका को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना और दूसरा, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अर्थात बिना किसी भय, लोभ आदि के। इनके अतिरिक्त जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वह यह है कि न्यायाधीशों का व्यक्तिगत पक्षपात, राजनीतिक और नैतिक विश्वास तथा किसी खास विचारधारा से तटस्थ रहना।
- न्यायिक निष्पक्षता और स्वतंत्रता न केवल विधि पर बल्कि उस विधि का अनुपालन सुनिश्चित कराने वाले न्यायाधीशों पर निर्भर करती है, अर्थात केवल विधि के निष्पक्ष होने से न्यायिक निष्पक्षता नहीं प्राप्त की जा सकती बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों का भी निष्पक्ष होना आवश्यक है।

विधिक संस्कृति के समक्ष संकट

- विधिक संस्कृति के समक्ष संकट का दौर 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब न्यायिक शक्ति का तीव्र गति से विस्तार होना शुरू हुआ था। इस विस्तार से निहितार्थ यह था कि न्यायपालिका काफी लंबे समय से एक ही ढर्रे पर चल रही थी और समय और व्यक्तियों की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पा रही थी, इसलिए ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बदलाव का समय आ गया है।
- इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रक्रियात्मक शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सामने आया। इन बदलावों में से सर्वप्रमुख बदलाव "लोकहितवाद" के रूप में सामने आया। इसके तहत यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में सक्षम नहीं है तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति/समूह भी न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है।

निष्कर्ष

- न्यायपालिका द्वारा अपने शक्तियों के प्रयोग करते समय स्वयं पर संयम रखना चाहिए और बगैर किसी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित हुए लोक हित के मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए। जनता के हित में निर्णय देते हुए इन्हें इस बात का भलीभाँति ध्यान रखना चाहिए कि उनका यह निर्णय न्यायिक प्रकृति का हो, कार्यपालिकीय प्रकृति का नहीं।■

ऑनलाइन निगरानी और निजता का अधिकार

प्र. हाल ही में सरकार ने अपने एक आदेश में देश की 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को कम्प्यूटर डेटा के निगरानी की अनुमति दी है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश की सुरक्षा तथा

नागरिकों के निजता के अधिकार को किस प्रकार प्रभावित करेगा? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- क्या है कानूनी प्रावधान
- क्या है आईटी एक्ट की धारा 69
- क्या है वर्तमान अधिसूचना
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक अधिसूचना में देश की 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को कम्प्यूटर में रखे डाटा, ऑनलाइन गतिविधियों और दूसरे निगरानी की अनुमति दी है।

परिचय

- पिछले एक दशक के भीतर हम अनेक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी हस्तक्षेपों के गवाह बने हैं जिसमें डिजिटल क्षेत्र में निगरानी के अत्यधिक विवादस्पद मुद्दे शामिल हैं।
- वर्ष 2008 की आईटी (IT) अधिनियम की धारा 69 में, संशोधन ने सरकार की निगरानी की शक्तियों में और वृद्धि किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए तथा अपमान जनक (Sexually abusive content) सामग्रियों के लिए ढाँचा तैयार करे।

क्या है कानूनी प्रावधान

- संसद द्वारा सन 2000 में सूचना तकनीक अधिनियम पारित किया गया जिसे 2008 व 2009 में संशोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली में सूचना तकनीक की आदर्श नियमावली के बाद यह कानून पेश करना जरूरी हो गया था। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम या किसी अन्य कानून में भी इन दस्तावेजों का उपयोग हो सकता है। सूचना तकनीक कानून 2000 के तेरहवें अध्याय में 94 धाराएँ हैं।

क्या है आईटी एक्ट की धारा 69

- आईटी एक्ट वर्ष 2000 में बना। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता के लिए सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है। हालांकि, निगरानी करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार ही तय करती है।
- इस आदेश के अनुसार, सरकार तीन काम कर सकती है। पहला- इंटरसेप्ट या टैप, दूसरा- हमारे डेटा की मॉनिटरिंग और तीसरा- हमारे मैसेज या सूचनाओं को डिक्रिप्ट (डिकोड) करना।

क्या है वर्तमान अधिसूचना

- वर्तमान समय में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक मामले में जाँच के लिए जांच एजेंसी को गृह सचिव से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- कंप्यूटर या मोबाइल डेटा में सेंधमारी का आदेश तभी दी जा सकती है, जब गृह मंत्रालय के पास अन्य साधनों से सूचना नहीं मिल पाने का ठोस आधार हो।

चुनौतियाँ

- आप रोज जितना भी डेटा इस्तेमाल करते हैं, उतना डेटा यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि आपका व्यवहार, आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपकी पसंद-नापसंद क्या है? आप किसके समर्थक और किसके विरोधी हैं? कुल मिलाकर आपके डेटा से प्रोफाइलिंग की जा सकती है।
- सरकार का ये आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) पर आधारित है, लेकिन अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में फैसला देते हुए निजता को मौलिक अधिकार बताया था। सरकार का आदेश न सिर्फ निजता के मौलिक अधिकार पर खतरा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी है।

आगे की राह

- पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद (निजता का अधिकार मामला-2017) में दिये गये निर्णय में संवैधानिक अंतर्विरोध जिसके भीतर कब, कैसे और किस प्रकार के सवालों को स्पष्ट किया गया है। निजता के आनुपातिक मानक के कारकों में से एक यह है कि सरकार की कार्यवाही कम से कम प्रतिबंधात्मक विधि पर आधारित होनी चाहिए जिससे की राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ■

स्कूलों में बाल आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति

प्र. स्कूलों में बाल आत्महत्या की समस्या दिन-प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। इस समस्या के कारणों की विवेचना करते हुए उपयुक्त समाधान सुझाइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भारत में स्थिति
- आत्महत्या को नियंत्रित करने के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया है कि 'जवाहर नवोदय विद्यालय' में पिछले पाँच वर्षों में (2013-2017) लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या किया है। इस दौरान जिन छात्रों ने आत्महत्या किया, उसमें आधे से अधिक छात्र दलित थे और शेष छात्र आदिवासी समुदाय से संबंधित थे। इस अंग्रेजी अखबार ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत इस सूचना को प्राप्त किया था।

परिचय

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक आँकड़े के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 8,00,000 व्यक्ति आत्महत्या करके मृत्यु का शिकार होते

हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है।

- वैश्विक स्तर पर 15 वर्ष से लेकर 29 वर्षीय युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या को माना गया है।

भारत में स्थिति

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने अपने 2015 के आँकड़ों में एक खुलासा किया है कि भारत में प्रत्येक घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। ऐसा पाया गया है कि बच्चों और युवाओं में भावनात्मक संबंध काफी जटिल होते हैं, जिससे वे आसानी से मनोविकार संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। हालाँकि बच्चों में अवसाद और मानसिक तनाव संबंधी समस्याएँ आनुवंशिक भी हो सकती हैं।

आत्महत्या को नियंत्रित करने के उपाय

- समूह चर्चा एवं वैचारिक आदान-प्रदान
- कार्यशाला एवं पाठ्यक्रम
- प्रोत्साहन एवं निवारण
- परामर्शदाता की उपस्थिति
- एक्जाम वॉरियर

निष्कर्ष

- इस बढ़ती समस्या का समाधान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में ही अंतर्निहित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, माता-पिता प्रायः अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से इनकार कर देते हैं, जबकि माता-पिता का यह रवैया अविलंब खत्म किया जाना चाहिए। माता-पिता को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चों की मानसिक स्थिति कितनी नाजुक है और इसका आकलन कर पाने में वे सक्षम हैं अथवा नहीं।■

जेएआई (JAI) और आरआईसी (RIC) : एक अवलोकन

प्र. रूस-भारत-चीन (RIC) और जापान-अमेरिका-भारत (JAI) का सामान्य परिचय देते हुए वर्तमान में इसकी महत्ता की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- जापान-अमेरिका-भारत (JAI)
- जेएआई और भारत
- रूस-इंडिया-चीन (RIC)
- आरआईसी और भारत
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श के लिए ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर आरआईसी (RIC-RUSSIA-INDIA-CHINA) त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न की।
- ज्ञातव्य है कि तीनों देशों के बीच करीब 12 साल बाद यह दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता है। वहीं इस बैठक से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली त्रिपक्षीय (JAI-JAPAN-AMERICA-INDIA) बैठक भी संपन्न की।

परिचय

- आरआईसी (RIC) एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह है जिसमें तीन यूरेशियाई देश सम्मिलित हैं जो संयोगवश भौगोलिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरआईसी देशों में वैश्विक भू-भाग का 19 प्रतिशत से अधिक समाहित है तथा इनका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत से अधिक योगदान है। तीनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं जिनमें रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जबकि भारत इस ओर प्रयासरत है।

जापान-अमेरिका-भारत (JAI)

- हाल के वर्षों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय मित्रता बढ़ी है। खास तौर पर वर्ष 2015 में JAI की स्थापना के बाद जब जापानी सेना को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया। दिसंबर 2011 में तीनों देशों ने चीन को लेकर बढ़ती साझा चिंताओं के संदर्भ में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी।

जेएआई और भारत

- वर्तमान में भारत के लिए जेएआई शायद अधिक महत्वपूर्ण और परिणामी समूह है। इसका औचित्य इस बात में निहित है कि यह पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी शक्ति पर प्रभावी संतुलन को बनाये रखने में उपयोगी साबित होगा। भारत के लिये जेएआई इन मुद्दों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है।

रूस-इंडिया-चीन (RIC)

- आरआईसी के माध्यम से रूस यह दर्शा सकता है कि पश्चिमी देश भले ही रूस के साथ असहयोग कर रहे हों लेकिन उसके पास अभी भी भारत और चीन जैसे दोस्त मौजूद हैं।
- आरआईसी चीन के लिए एक मंच की तरह है जिससे कि चीन यूरेशिया में अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है।
- वहीं भारत के लिए आरआईसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारत के लिए पूर्वी एशिया की छोटी शक्तियों से लेकर रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों से अपने संबंध मजबूत करने का एक मंच भी है।

आरआईसी और भारत

- वर्तमान समय में भारत को दो भू-राजनैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला- एशिया प्रशांत क्षेत्र में नये-नये बहुपक्षीय समीकरणों का उदय हो रहा है तथा दूसरा- चीन तथा विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन है।

आगे की राह

- महाद्वीपीय और समुद्री शक्ति के रूप में, भारत की यूरेशिया में रुचि है

जिसे अब इंडो-पैसिफिक कहा जाता है। यही RIC तथा SCO समूहों के साथ-साथ JAI तथा QUAD में भारत की भागीदारी का महत्वपूर्ण सार है।

- हालाँकि दोनों संगठन सैन्य गठबंधन का परिणाम नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक रूप से बने गठबंधन हैं। भविष्य में इन संगठनों के क्या परिणाम आयेंगे ये अभी किसी को ज्ञात नहीं है,अतः भारत को संभलकर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ■

बैंकों का पुनर्पूंजीकरणः क्या एक उचित समाधान

प्र. भारतीय बैंकों के हालातों को सुधारने के लिए शुरू किए गए पुनर्पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको शुरू करने के कारणों का जिक्र करते हुए इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- प्रस्ताव का उद्देश्य
- आवश्यकता क्यों?
- सरकारी प्रयास
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिये बैंक पुनर्पूंजीकरण परिव्यय (Bank Recapitalisation Outlay) को चालू वित्त वर्ष में 65 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा है। विदित हो कि सरकार ने 2018-19 में सरकारी बैंकों में 65 हजार करोड़ रुपए की पूँजी डालने की घोषणा की थी।
- इसमें से 23 हजार करोड़ रुपए की पूँजी पहले ही डाली जा चुकी है और 42 हजार करोड़ रुपए शेष बचे हैं। अब सरकार ने उक्त राशि के अलावा 41 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी डाले जाने के संबंध में संसद की मंजूरी मांगी है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डाली जाने वाली पूंजी बढ़कर 83 हजार करोड़ रुपए हो जाएगी।

प्रस्ताव का उद्देश्य

- पूँजी से जुड़े नियामकीय मानकों को पूरा करना।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीसीए बैंकों को 9% पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) प्राप्त करने के लिए पूंजी प्रदान करना।
- इसके अलावा, 1.875 प्रतिशत के पूंजी संरक्षण बफर और 6 प्रतिशत की निवल (Net) NPA से जुड़ी कुछ सीमाओं के उल्लंघन की स्थिति में आ चुके निजी बैंकों को सुविधा देना, ताकि वे उल्लंघन से बच सकें।

आवश्यकता क्यों?

- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की बढ़ती मात्रा के कारण पूंजी की क्षतिपूर्ति के लिए।
- बासेल III मानदंडों के तहत उच्च पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी के साथ क्रेडिट जरूरतों का विस्तार करने के लिए।
- इसके साथ ही सरकार की पीएसबी के शेयरों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है, जिस कारण उन्हें पूंजी जोड़ने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।

सरकारी प्रयास

- **बजटीय आवंटनः** इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के 18,000 करोड़ रुपये के शेयरों को खरीदेगी।
- **बाजार ऋणः** पीएसबी उधार के माध्यम से बाजार से 58,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे।
- **पुनर्पूंजीकरण बाँडः** सरकार 1,35,000 करोड़ रुपये के बैंक पुनर्पूंजीकरण बाँड जारी करेगी, जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक शेयर खरीदने के लिए किया जाएगा।

प्रभाव

- यह सुधार पैकेज वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने के बारे में गहनता से विचार करता है क्योंकि पिछले कई दशकों से, वित्तीय समावेशन का बोझ पीएसबी पर काफी अधिक बढ़ गया है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक, बड़े और मझोले शहरी केंद्रों के ग्राहकों की सेवा पर ही केंद्रित रहे हैं।
- यह सुधार पैकेज एमएसएमई को समर्थन देने के लिए बैंकों की जरूरतों के बारे में भी विचार करता है।
- नए मानदंडों ने बैंकों व इनके निदेशक मंडल पर प्रदर्शन का दबाव बढ़ाया है ताकि ऐसे संकट का दोहराव न हो। साथ ही इन बैंकों को पर्याप्त मात्रा में पूँजी मिल सके।

आगे की राह

- पुनर्पूंजीकरण के साथ सरकार को जरूरत है कि बैंकिंग क्षेत्र में फैली अनियमितता को ठीक करे।
- एनपीए की समस्या का समाधान हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे बैंकों को पूँजी मुहैया कराने के साथ उनके बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान दे, ताकि 'बैड लोन' जैसी मुसीबतें न बढ़ सकें तथा बैंक बोझ की चिंता से मुक्त होकर नयी खाता-बही के साथ वित्तीय काम को अंजाम दें। साथ ही, फंसी हुई रकम को निकालने के लिए किये जा रहे प्रयासों को भी तेज करने की जरूरत है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी

नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की।

इस रैंकिंग से 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के बीच जिलों द्वारा की गई प्रगति का अंदाज लगाया जाएगा।

दूसरी डेल्टा रैंकिंग

जिलों को स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत ढांचे के मानदंडों पर पारदर्शिता के आधार पर उनके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के जरिए श्रेणीबद्ध किया गया है।

श्रेणीबद्ध करने का काम चैंपियन्स ऑफ चेंज डैशबोर्ड के जरिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें वास्तविक समय के आधार पर जिला स्तर के आंकड़े प्रविष्ट किए गए हैं।

श्रेणीबद्ध करने में पहली बार नीति आयोग के नॉलेज पार्टनरों, टाटा ट्रस्ट तथा बिल और मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन द्वारा कराए गए परिवार के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी को शामिल किया गया है।

इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकेतकों को बेहतर करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी 2018 को की थी। इसका उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रगति की है और वे अल्पविकास के रूप में उभरे हैं, जिसके कारण वे संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए चुनौती बने हुए हैं। यह कार्यक्रम अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले लोगों की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचा इस कार्यक्रम के मुख्य केन्द्र हैं। ■

2. गगनयान प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 2022 में तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो सात दिनों तक वहां रहकर आएंगे। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले पहले भारतीय गगनयान कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है। साथ ही इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ ही इसे 40 महीनों के भीतर लांच करने की समयसीमा भी तय की गई है।

उल्लेखनीय है की इसरो ने हाल ही में एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का रिकार्ड बनाया है। अब तक भारतीय या भारतीय मूल के तीन लोग अंतरिक्ष जा चुके हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय हैं। वे रूस के अंतरिक्ष यान सोयुज टी-11 से अंतरिक्ष गए थे। इसके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष जा चुकी हैं।

इस परियोजना के साथ ही अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। अभी अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस और चीन की ओर से ही मानवयान भेजे गए हैं। इस अभियान में जीएसएलवी एमके-3 श्रेणी के रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की देखरेख में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को रूस और फ्रांस भी मदद कर रहा है। दोनों देशों ने स्वेच्छा से इस कार्यक्रम से जुड़ने की पहल की थी।

इस अभियान के साथ ही ऐसा करने वाला भारत पहला देश हो गया है कि यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले किसी जानवर पर इसका टेस्ट नहीं होगा। यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले दो टेस्ट फ्लाइट होंगी। गगनयान मिशन के तहत अगले तीन साल में 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनमें से करीब 900 लोगों को सीधे इसरों में नौकरी मिलेगी। मिशन की जिम्मेदारी वैज्ञानिक डा. वी.आर. ललितांबिका को सौंपी गई है।

■

3. भारत का पहला संगीत संग्रहालय

तमिलनाडु ने थिरुवईयरु में केंद्र सरकार की सहायता से देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो कर्नाटक संगीत की त्रिनेत्र में से एक, संत त्यागराज का जन्म स्थान है। त्रिमूर्ति के अन्य दो प्रमुख संगीतज्ञ मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री हैं।

संत त्यागराज

- संत त्यागराज कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार थे।
- उन्होंने हजारों भक्ति रचनाएँ की हैं, जिनमें ज्यादातर तेलुगु में भगवान राम की प्रशंसा में हैं, जिनमें से कई आज भी लोकप्रिय हैं।
- उन्होंने मराठा राजवंश के चार राजाओं- तुलजा द्वितीय (1763-1787), अमरसिंह (1787-1798), सर्फोजी द्वितीय (1798-1832) और शिवाजी द्वितीय (1837-1855) के शासनकाल को देखा, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी की भी सेवा नहीं की।

संत मुथुस्वामी दीक्षितार

- संत मुथुस्वामी दक्षिण भारतीय कवि और संगीतकार थे।
- उनकी रचनाएँ हिंदू देवताओं और मंदिरों के उनके विस्तृत और काव्यात्मक विवरण के लिए तथा गानक पर जोर देने वाली व्यानिका (वीणा) शैली के माध्यम से राग रूपों पर कब्जा करने के लिए प्रसिद्ध हैं।
- उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से संस्कृत में हैं और उन्होंने मणिप्रावलम (संस्कृत और तमिल का मिश्रण) में अपनी कुछ कृतियों की रचना भी की है।

संत श्यामा शास्त्री

- संत श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत के संगीतकार थे और कर्नाटक संगीत के त्रिमूति में सबसे पुराने थे।
- भले ही उन्होंने अधिक संगीत की रचना नहीं की, लेकिन उनकी रचनाएँ अभी भी साहित्यिक, मधुर और लयबद्ध प्रवीणता के कारण जानी जाती हैं।
- उन्होंने तेलुगु के कई औपचारिक रचनाएँ भी की हैं जो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती हैं। उनके आलोचक भी इसके लिए उनकी प्रसंसा करते हैं।
- उनकी अधिकांश रचनाएँ देवी कामांक्षी की महत्ता का बखान करती हैं।

■

4. 26 वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

27-31 दिसंबर, 2018 के मध्य '26वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस' (26th National Children's Science Congress) - 2018 का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया। इसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा एसओएस यूनिवर्सिटी में किया गया। इस विज्ञान कांग्रेस की थीम है, 'स्वच्छ, हरित व स्वच्छ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इनोवेशन।'

इसमें दस एशियाई और सात खाड़ी देशों के 800 छात्र भाग ले रहे हैं। यह दूसरी बार है जब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ओडिशा में किया जा रहा है। इससे पहले यह बड़ा कार्यक्रम 2015 में आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों को अपनी रचनात्मकता और नवाचार करने की क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस आयोजन को भारत सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एनसीएसटीसी) के सहयोग से किया जा रहा है। इस विज्ञान कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1993 में हुयी थी।

उल्लेखनीय है कि '25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस' - 2017 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। NCSC-2017 का मुख्य विषय 'सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार' था। ■

5. ओडिसा सरकार की कालिया योजना

21 दिसंबर 2018 को, सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले ओडिशा मंत्रिमंडल ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के साथ-साथ भूमिहीन मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए कृषक आजीविका और आय संवर्धन योजना (कालिया) की घोषणा की। राज्य के द्वारा शुरू की यह एक प्रगतिशील समावेशी योजना है। इस सरकारी योजना को क्षेत्र के एक बड़े पैमाने पर राज्य के निम्न वर्ग के किसानों के लिए शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, मिलने वाली धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्य सरकार के द्वारा कालिया योजना के अंतर्गत, सभी पात्र किसानों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, 2 लाख रुपये का अलग से दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 50 हजार रूपये तक के फसल ऋण संपूर्ण रूप से ब्याज मुक्त होगा
- इस 10,000 करोड़ रुपये की योजना, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, में 92% (30 लाख से अधिक) किसान, कर्जदार और गैर-ऋणदाता, शेयर-क्रॉपर्स और भूमिहीन मजदूर शामिल हैं।
- योजना के अनुसार खरीफ और रबी सीजन के लिए 5,000 रुपये की दर से प्रति परिवार 10,000 रुपये की राशि खेती के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता 2018-19 से 2021-22 तक

तीन वर्षों में फैले पांच फसल सत्रों के लिए है और यह स्वामित्व वाली भूमि की सीमा से भी जुड़ी नहीं है, जिससे शेयर क्रॉपर्स और वास्तविक कृषक लाभान्वित होते हैं, जिनमें से अधिकांश के पास बहुत कम भूमि है।

- कालिया योजना में बकरी पालन इकाइयों, मिनी लेयर इकाइयों, डेयरी इकाइयों, मछुआरों के लिए मत्स्य किट जैसी गतिविधियाँ करने के लिए प्रत्येक घर को 12,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे 10 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा, वृद्धावस्था, विकलांगता, बीमारी या अन्य कारणों से खेती करने में असक्षम किसानों की जीविका का खयाल रखने के लिए प्रति परिवार 10,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- लगभग 74 लाख घरों को कवर करने वाले काश्तकारों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर और 2 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी प्रदान किया जाएगा। ■

6. बिमल जालान की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति

पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अगुवाई में आर्थिक पूंजी के ढांचे पर सलाह देने के लिए 6 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो यह सलाह देगी कि आरबीआई को कितनी पूंजी अपने पास रखने की जरूरत है और शेष बची पूंजी वह सरकार के हवाले कर दे। आरबीआई के पास पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी 9.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी दिखाई गई है।

आरबीआई की विशेषज्ञ समिति अपनी पहली बैठक के 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल कर देगी। देश के केंद्रीय बैंक के पास पड़े इस अतिरिक्त कोष को लेकर ही रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और मोदी सरकार के बीच गहरे मतभेद बन गए थे। बाद में उर्जित ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। वित्त मंत्रालय का कहना है कि आरबीआई के पास अपनी कुल संपत्ति के 28 फीसदी के बराबर बफर पूंजी है, जो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाली रिजर्व पूंजी की तुलना में कहीं ज्यादा है। वैश्विक नियम 14 फीसदी का ही है।

विवाद का अहम मुद्दा

आरबीआई ने कहा, 'बैंक की केंद्रीय बोर्ड की 19 नवंबर 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि आरबीआई भारत सरकार के साथ सलाह-मशविरा के बाद एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी, जो आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करेगी।'

पिछले दिनों सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी का एक अहम मुद्दा बन गया, जब सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्रीय बैंक किसी भी अन्य केंद्रीय बैंक की तुलना में बहुत ज्यादा नकदी रिजर्व रख रहा है और उसे पूंजी की भरपूर मात्रा भारत सरकार के हवाले कर देनी चाहिए। वर्तमान में उर्जित पटेल की जगह पूर्व आर्थिक सचिव शशिकांत दास को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है।

कितनी पूंजी रखे आरबीआई

आरबीआई को यह छह सदस्यीय समिति सिफारिश करेगी कि आरबीआई जोखिम का आकलन कर यह तय करे कि कितनी पूंजी अपने पास रखनी चाहिए और कितनी सरकार को दे देनी चाहिए।

इस समिति में आरबीआई के उप गवर्नर और पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव राकेश मोहन भी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। अन्य सदस्यों में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, आरबीआई के उप गवर्नर एनएस विश्वनाथन और दो आरबीआई बोर्ड के निदेशक भारत नरोत्तम दोषी और सुधीर मनकड हैं।

इस समिति की पहली बैठक के बाद 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना होगा। इस साल जून में आरबीआई के पास 36.18 लाख करोड़ रुपये जमा थे, जिसमें 9.59 लाख करोड़ रिजर्व मुद्रा, स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन के रूप में 6.91 लाख करोड़ और आनुषांगिक फंड के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपये के रूप में हैं। ■

7. सरकार ने सीआरजेड अधिसूचना 2018 को मंजूरी दी

सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही, सभी द्वीपों के लिए 20 मीटर का ''एनडीजेड'' (कोई विकास क्षेत्र नहीं) निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दी। इसमें सीआरजेड 2 और 3 में आने वाली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां आवश्यक दिशानिर्देश के साथ राज्य स्तर पर दी गई हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रस्तावित अधिसूचना से तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ काफी बढ़ जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे न केवल बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा, बल्कि बेहतर जीवन स्तर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

इसमें समुद्र तटों (सी-बीच) पर अब पर्यटन से जुड़ी अस्थायी सुविधाओं, जैसे कि कुटिया या छोटे कमरों, शौचालय ब्लॉकों, कपड़े बदलने के कमरों (चेंज रूम) के साथ-साथ पेयजल सुविधाओं इत्यादि की भी अनुमति दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, पर्यटन से जुड़ी इस तरह की अस्थायी सुविधाओं की अनुमति अब सीआरजेड-III क्षेत्रों के 'एनडीजेड' में भी दी गई है। हालांकि, इस तरह की सुविधाओं की स्थापना के लिए एचटीएल (हाईटाइड लाइन) से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी को बरकरार रखना होगा। सभी द्वीपों के लिए 20 मीटर का 'एनडीजेड' निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य भूमि तट के निकट स्थित द्वीपों और मुख्य भूमि पर स्थित सभी 'बैकवाटर द्वीपों' के लिए 20 मीटर का 'एनडीजेड' निर्दिष्ट किया गया है

गौरतलब है कि सीआरजेड के सिलसिले में शैलेश नायक समिति ने राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद वर्ष 2015 में अपनी सिफारिशें पेश की

थी। तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सांसदों के साथ-साथ भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ भी सलाह-मशविरा कर इन सिफारिशों पर फिर से गौर किया गया।

इसके बाद अप्रैल, 2018 में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर आम जनता से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सरकार को बड़ी संख्या में सुझाव और टिप्पणियाँ प्राप्त हुई। तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की समग्र अनिवार्यता और तटीय परिवेश के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने तटीय नियमन जोन अधिसूचना 2018 को मंजूरी दी है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत–जापान के मध्य ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर

जापान के आधिकारिक विकास सहायता ऋण के बारे में 21 दिसंबर 2018 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरमात्सु के मध्य दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ।

यह ऋण चेन्नई मेट्रो परियोजना (फेज-2) और जेपीवाई के लिए 75.519 बिलियन, जापानी येन भारत के सतत विकास लक्ष्यों के लिए जापान भारत सहयोग कार्यक्रम हेतु 15 बिलियन जापानी येन, डेयरी विकास परियोजना के लिए 14.978 बिलियन जापानी येन की सहायता के रूप में दिये जा रहे है। जापान सरकार ने इन तीन परियोजनाओं के लिए कुल 105.497 बिलियन येन (लगभग 6668.46 करोड़ रुपये) की जेआईसीए आधिकारिक विकास सहायता देने का वायदा किया था।

मुख्य बिंदु

- चेन्नई मेट्रो परियोजना फेज-2 (I) का उद्देश्य बदतर हो रहे सड़क यातायात/यातायात प्रदूषण को कम करने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण द्वारा यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है।
- इससे चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास संतुलित होगा और महानगरीय वातावरण तथा पर्यावरण स्थिति में सुधार आएगा।
- भारत में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जापान-भारत सहयोगात्माक कार्यों के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीति ढाँचे और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करके विशेष रूप से सामाजिक विकास में एसटीजी को बढ़ावा देने के लिए योगदान देना है।
- इससे 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत को मदद मिलेगी।
- डेयरी विकास परियोजना का उद्देश्य संगठित बाजार, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाओं को उन्नत बनाकर, विपणन, बुनियादी ढांचा और उत्पादक के स्वामित्व वाली संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करके उन तक किसानों की पहुँच में बढ़ोतरी द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।
- इससे परियोजना के क्षेत्र में दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

उल्लेखनीय है की भारत और जापान का 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग में दीर्घकालिक और लाभदायक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और जापान में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। इससे भारत और जापान में रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को और मजबूत बनाने मे मदद मिलेगी। ■

2. मंगल ग्रह पर विशाल बर्फ का गड्ढा; ESA की रिपोर्ट

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) ने स्पेस अंतरिक्ष यान द्वारा मंगल ग्रह पर बर्फ से भरे 50 मील (82 किमी) चौड़े गड्ढे का फोटो साझा की है। ईएसए ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये कोरोलेव गड्ढा मंगल ग्रह के उत्तरी तराई क्षेत्रों में स्थित है, और यह बर्फ के एक कंबल से ढका हुआ है।

यह लुभावनी फोटो मार्स एक्सप्रेस हाई रिजॉल्यूशन स्टीरियो कैमरा (HRSC) से खिंची गई है, जो मानव रहित मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान में सवार होकर खिंची गई पांच फोटो में शामिल है। यह एक विशेष रूप से अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण है जो कि मंगल ग्रह पर बना यह गड्ढा किसी बर्फ की बूंदाबांदी से नहीं, बल्कि बर्फ से भरा हुआ है। ईएसए के मुताबिक, 'यह एक दिलचस्प घटना के कारण बना है, जिसे 'कोल्ड ट्रैप' के रूप में जाना जाता है, जो कि इसके नाम से भी पता चलता है।'

ईएसए के अनुसार, कोरोलेव गड्ढा में बर्फ होती है, जो कि एक प्राकृतिक ठंडे जाल के रूप में काम करती है। बर्फ के जमाव की वजह से वहां से चलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। ■

3. कैंसर से मुकाबला करेगा वर्चुअल ट्यूमर मॉडल

ब्रिटिश वैज्ञानिकों को कैंसर से मुकाबले में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कैंसर का एक नया वर्चुअल रियलिटी (वीआर) थ्रीडी मॉडल तैयार किया है। इससे कैंसर के बारे में समझ बढ़ने के साथ ही इस बीमारी के लिए नए उपचार के विकास की राह भी खुल सकती है।

कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) के शोधकर्ताओं के अनुसार, इस अध्ययन में एक रोगी के स्तन कैंसर के ट्यूमर का नमूना लिया गया। एक मिलीमीटर के इस टिश्यू में करीब एक लाख सेल्स थीं। शोधकर्ताओं ने इस टिश्यू के पतले टुकड़े कर उनका अध्ययन किया तो उनकी मोलेक्युलर बनावट और डीएनए गुणों का पता चला।

इसके बाद वीआर का उपयोग कर ट्यूमर दोबारा बनाया गया और फिर उसका विश्लेषण किया गया। सीआरयूके के निदेशक ग्रेग हैनन ने कहा, 'अभी तक इस स्तर पर ट्यूमर का विस्तृत परीक्षण किसी ने नहीं किया था।

यह अध्ययन कैंसर को देखने का एक नया नजरिया देता है। इस नए सिस्टम के उपयोग से हम नया उपचार विकसित करने जा रहे हैं।' ■

4. अल्टीमा थुले

2015 में प्लूटो की पहली यात्रा करने वाले NASA के अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स अब अपने अगले लक्ष्य के पास पहुँचता जा रहा है। यह लक्ष्य है प्लूटो के करोड़ों मील आगे Kuiper Belt में स्थिति पिंडजिसे अल्टीमा थुले (Ultima Thule) उपनाम दिया गया है। वहाँ पर पहुँचने के साथ ही न्यू होराइजन्स अन्तरिक्षयान मानव इतिहास में सबसे दूर स्थित ग्रह के निकट से गुजरने वाला पहला अन्तरिक्ष यान हो जायेगा।

इसके जनवरी 2019 तक उस पिंड तक पहुंचने की उम्मीद है। अल्टिमा को वर्ष 2014 में आधिकारिक नाम 'एमयू-69' दिया गया था। अमेरिका में साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एलन स्टर्न ने बताया कि यह इतिहास में सबसे दूर स्थित दुनिया की खोज है जो प्लूटो से एक अरब मील से भी अधिक दूर है। अल्टिमा थुले धरती से 6.6 अरब किलोमीटर दूर है। यह सर्वाधिक दूर मौजूद पिंड है जिस तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचेगा।

अल्टीमा थुले से सम्बंधित मुख्य तथ्य

- अल्टीमा थुले वरुण (Neptune) के परिक्रमा पथ के आगे सौर मंडल के बाह्यतम क्षेत्र में स्थित कुइपर बेल्ट में अवस्थित है।
- इसका व्यास लगभग 30 किलोमीटर है और इसका आकार टेढ़ा-मेढ़ा है।
- अल्टीमा थुले (Ultima Thule) का रंग लाल-जैसा है। ऐसा संभवत: उस पर करोड़ों वर्षों से पड़ने वाले सूर्य की धूप से हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया से हुआ है।
- कुइपर बेल्ट में ढ़ेर सारे पिंड हैं जिन्हें "cold classicals" कहते हैं। अल्टीमा थुले भी इसी श्रेणी में आता है। इन सभी पिंडों का परिक्रमा पथ गोल है और ये सौर तल के प्रति हल्के से झुके हुए होते हैं।
- उल्लेखनीय है की न्यू होराइजन्स 19 जनवरी, 2006 को छोड़ा गया था और तब से यह अन्तरिक्ष यात्रा कर रहा है। इस अन्तरिक्षयान का मूल वैज्ञानिक उद्देश्य प्लूटो और चौरोन की सतहों का नक्शा तैयार करना और प्लूटो के वायुमंडल का अध्ययन करना तथा तामपान का माप करना था। ■

5. थाईलैंड में मारिजुआना का प्रयोग वैध

थाईलैंड की अंतरिम संसद ने मेडिकल उपयोग और शोध के लिए मारिजुआना (गांजा) के प्रयोग को अनुमति देने के लिए मतदान किया है। विधेयक से जुड़े एक सीनेटर ने सीएनएन को बताया कि नशे के रूप में इसका प्रयोग अभी भी अवैध है। सांसद सोमचाई सावंगकर्ण ने कहा कि देश में मारिजुआना का मेडिकल कारणों के लिए प्रयोग वैध करने संबंधी संशोधन विधेयक पारित होना थाईलैंड वासियों के लिए नए साल का उपहार समझा जा सकता है।

उन्होंने कहा, "यह संशोधन (मादक पदार्थ विधेयक) 25 दिसंबर को दूसरी और तीसरी सुनवाई में पारित हुआ और रॉयल गैजेट में प्रकाशित होते ही यह लागू हो जाएगा।"

सीएनएन के मुताबिक, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के 166 सदस्यों ने इसके समर्थन में मत दिया और इस प्रस्ताव पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई।

थाईलैंड इसके साथ ही मारिजुआना का मेडिकल उपयोग करने वाला दक्षिण-पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। यह क्षेत्र मादक पदार्थो के प्रति सख्त तथा मादक पदार्थ संबंधित अपराधों के प्रति कड़े दंडों के लिए जाना जाता है।

रॉयल राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह परिवर्तन कानून बन जाएगा और चिकित्सा प्रयोजनों के लिये मारिजुआना तथा क्रैटम उत्पादों के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपयोग को वैध बना देगा। उत्पादकों और शोधकर्त्ताओं को इसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जबकि इन उत्पादों का उपभोग करने वाले लोगों को यह चिकित्सकीय सलाह पर ही उपलब्ध हो सकेगी। ध्यातव्य हो कि इजराइल ने भी चिकित्सकीय उपयोग के लिये मारिजुआना के उपयोग को वैध कर दिया है। ■

6. सीरिया के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीरिया से भी अमेरिका ने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना की संख्या में कमी लाने की कार्रवाई अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। वर्तमान में अफगानिस्तान में 14 हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अगर सैनिकों को वापस बुलाने की पुष्टि हुई तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का अनुपालन होगा, क्योंकि उन्होंने सीरिया से सभी अमेरिकी सेनाओं को हटाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में जीत का दावा कर सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी।

अफगानिस्तान में शांति बहाली पर भारत-रूस में हुई बातचीत

इधर अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की बहाली के उपायों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव और भारत के विदेश सचिव विजय गोखले व विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने इस बात पर एक बार फिर सहमति जताई कि अफगानिस्तान के नेतृत्व में वहां शांति बहाली की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, अखंडता और खुशहाली लाने के लिए निरंतर बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर भी सहमति बनी। अगले साल मास्को में अगले दौर की बातचीत होगी। ■

7. सस्टेनेबल प्लास्टिक

हाल ही में इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल खाने वाले रोगाणुओं से उत्पन्न बायोप्लास्टिक विकसित किया है। खारे पानी वाले एकल-कोशिकीय रोगाणु एक बहुलक को उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग बायोप्लास्टिक बनाने के लिये किया जा सकता है। यह कृषि योग्य भूमि को प्रभावित किये बिना और ताजे पानी का उपयोग किये बिना महासागरों को साफ करने हेतु दुनिया के प्रयासों में क्रांति ला सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, समुद्र में 90 फीसदी प्रदूषण की वजह प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक के विघटन में सैकड़ों वर्ष लगते हैं इसलिये प्लास्टिक के बैग और बोतल समुद्री जीवन को प्रभावित और पर्यावरण को दूषित करते हैं। पहले से ही ऐसे कारखाने हैं जो वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार के बायोप्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, लेकिन वे ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं जिनके लिये कृषि भूमि और ताजे पानी की आवश्यकता होती है।

यह नई प्रक्रिया समुद्री सूक्ष्मजीवों से 'प्लास्टिक' का उत्पादन करती है जो पूरी तरह से जैविक कचरे में पुनःचक्रित हो जाती है।यह प्रक्रिया इजराइल, चीन और भारत जैसे ताजे पानी की कमी वाले देशों को पेट्रोलियम-व्युत्पन्न प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में बदलने में सक्षम बना देगी।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

सतत विकास लक्ष्य सूची-2018

चर्चा का कारण

1.1 नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूची 2018 जारी की। यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है।

1.2 एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है।

एसडीजी भारत सूची-2018 का आधार

2.1 एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

2.2 एसडीजी 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।

2.3 कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है। यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखाता है। यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्राप्त किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।

SDG भारत सूचकांक की महत्ता

3.1 SDG भारत सूचकांक (SDG India Index) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमन्त्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है।

3.2 विदित हो कि प्रधानमंत्री ने "सबका साथ, सबका विकास" का नारा दिया है जिसमें सतत विकास के पाँच वैश्विक लक्ष्यों का कार्यान्वयन शामिल है। ये पाँच लक्ष्य "पाँच P" कहलाते हैं– People, Planet, Prosperity, Partnership and Peace.

प्रतिवेदन के मुख्य तथ्य

4.1 ज्ञातव्य है कि सतत विकास लक्ष्य को भारत के साथ-साथ विश्व के 192 अन्य देशों ने 2015 में अपनाया था। 2018 के सूचकांक के अनुसार भारत को विभिन्न मानदंडों के आलोक में 58 का समग्र स्कोर मिला है।

4.2 जो तीन राज्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रणी रहे, वे हैं- हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु।

4.3 तमिलनाडु को 66 का स्कोर मिला। जिन लक्ष्यों के मामले में यह राज्य सबसे ऊपर रहा, वे हैं- निर्धनता उन्मूलन तथा स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति।

4.4 केरल राज्य के अच्छे प्रदर्शन के पीछे उसकी ये सफलताएँ हैं- अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा, भूखमरी घटाना, लिंगानुपात सुधारना और गुणवत्ता-युक्त शिक्षा की व्यवस्था।

4.5 हिमाचल प्रदेश की सफलता के पीछे ये कार्य रहे- स्वच्छ जल और सफाई की व्यवस्था, असमानता को घटाना तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।

4.6 केंद्र-शासित क्षेत्रों में चंडीगढ़ सबसे आगे रहा। इसका कारण यह था कि उसने स्वच्छ जल और सफाई की सुविधा देने में बहुत ही अनुकरणीय प्रदर्शन किया।

4.7 जिन राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है, वे हैं- झारखंड, ओडिशा और नागालैंड।

4.8 यदि अलग-अलग लक्ष्यों को देखा जाए तो पता चलता है कि इन लक्ष्यों में राज्यों की प्रगति सबसे बुरी रही- लैंगिक समानता (36), टिकाऊ शहर और समुदाय का निर्माण (39), उद्योग में नवाचार की सुविधा एवं आधारभूत संरचना (44) तथा भूख का निवारण (48)।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

5.1 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किये गये महत्वकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है।

5.2 ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।

5.3 संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य तय किये गये हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008

परिचय

2.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पैसे के लेन-देन, ई-प्रशासन के साथ ही कंप्यूटर से जुड़े अपराधों को ध्यान में रखकर लाया गया था।

2.2 उस समय हुए अपराधों व घटनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस आईटी एक्ट की धाराएं अगले कुछ सालों में ही कंप्यूटर व इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग और उससे जुड़े अपराधों की संख्या व विविधता के आधार पर कम पड़ने लगीं।

2.3 जिसके बाद सरकार ने मौजूदा इंटरनेट अपराधों व उसके लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध कानूनों की तर्ज पर इस एक्ट में संशोधन कर इसे समकालीन व शक्तिमान बनाने का निर्णय किया।

चर्चा का कारण

1.1 सोशल मीडिया के जरिये मॉब लिंचिंग, दंगों को भड़काने और अफवाहें फैलाने जैसे मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।

अधिनियम में शामिल बिंदु

3.1 आईटी एक्ट के संशोधन में कुल 52 धाराएं हैं जिसमें हर पक्ष को शामिल किया गया है। इस संशोधन के दौरान यह भी ध्यान रखा गया कि यह यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) के अनुरूप भी हो।

3.2 यूएनसीआईटीआरएएल एक विश्व स्तरीय कानून है। एक्ट में संचार उपकरण की व्याख्या को भी शामिल किया गया है। कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क पर इस उपकरण के बिना कार्य करना मुमकिन नहीं है।

3.3 इसको ध्यान में रखकर संचार उपकरण को कानूनी परिधि में शामिल किया गया जिससे इसे उल्लिखित कर उसके अनुरूप भी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू की जा सकें।

3.4 इसी तरह सेवा प्रदाता को भी एक्ट में उल्लिखित किया गया है। इसके तहत सभी सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग सेवा लेने वाले, सर्च इंजन, ऑनलाइन नीलामी साइट व सायबर कैफे को भी शामिल किया गया है जिससे कोई भी सेवा प्रदाता कानूनी परिधि से बाहर ना रहे।

3.5 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बढ़ते अपराधों व धोखाधड़ी को देखते हुए संशोधित एक्ट में 3ए सेक्शन का बकायदा उल्लेख किया गया है। एक्ट में डाटा सुरक्षा व उसकी निजता को सुनिश्चित करने के लिए डाटा सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी को नामित कर एक नया सेक्शन 43ए लाया गया है जो डाटा लीकेज होने पर पीड़ित को मुआवजे का अधिकार देता है।

3.6 गोपनीयता भंग करके सूचना जारी करने को लेकर सेक्शन 72ए भी एक्ट में शामिल किया गया है। ब्रीच ऑफ कांफीडेंसलिटी - डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉरमेशन के नाम से नामित यह सेक्शन 43ए सेक्शन का ही अगला कदम है।

3.7 जहां 43ए सेक्शन में आंकड़े प्रकट करने वाली कंपनी के खिलाफ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है वहीं सेक्शन 72ए में गोपनीयता भंग करने पर दण्ड का उल्लेख किया गया है। इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।

3.8 यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है लेकिन इसके लिए जमानत का प्रावधान रखा गया है। डाटा सुरक्षा के लिए एक्ट में इंक्रिप्सन (अभिलेख) को लेकर सेक्शन 84ए का भी उल्लेख किया गया है।

3.9 इसके तहत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इंक्रिप्सन (अभिलेख) के तरीके या रास्ते की व्याख्या कर सकती है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मानना है कि इससे डाटा की सुरक्षा को लेकर सरकार के हाथ और मजबूत होंगे।

3.10 गैरकानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के लिये विश्वसनीय फ्लैगर्स (Flaggers) की तैनाती। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिये 24×7 तंत्र स्थापित करना।

3.11 साइट हैक होने या फिर किसी साइट से देश की एकता व अखण्डता पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को रोकने के लिए यह संगठन तत्काल प्रभाव से ऐसी साइट को बंद करने या फिर साइट को हैक करने वाले के खिलाफ तकनीकी जांच शुरू करेगा।

चुनौतियाँ

4.1 अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

4.2 सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आतंकवादियों की भर्ती के लिये प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, हिंसा भड़काना, फेक न्यूज आदि शामिल हैं।

आगे की राह

5.1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग के कारण देश में हिंसा और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता के साथ, अब जिम्मेदारी, जवाबदेही और बड़ी प्रतिबद्धता का सामना करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग न हो

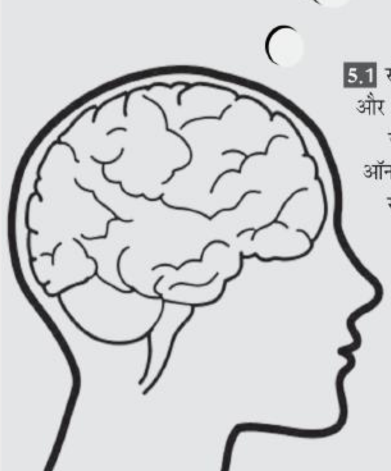

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

चर्चा का कारण

1.1 सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSME) मंत्रालय ने छोटी इकाइयों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये संचालन परिषद का गठन करने का प्रस्ताव किया है।

1.2 इसका उद्देश्य निवेश से जुड़ी सभी बाधाओं को बेहतर तरीके से निपटान करना है।

क्या है?

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises – MSMEs) वस्तुतः छोटे आकार के ऐसे उद्यम हैं, जिन्हें उनमें होने वाले निवेश के आकार से परिभाषित किया जाता है।

2.2 यद्यपि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास करने व उन्हें प्रोत्साहन देने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिये केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में एक कानून पारित किया था, जिसे वर्ष 2006 में "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम" के नाम से अधिसूचित किया गया।

2.3 इसी अधिनियम के अंतर्गत इन उद्यमों में निवेश की सीमा तय की गई है। सूक्ष्म उद्यमों के लिये यह सीमा 25 लाख से नीचे, लघु उद्यमों के लिये 25 लाख से 5 करोड़ तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिये 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है।

2.4 हालाँकि, सेवा क्षेत्र में संलग्न इन तीनों श्रेणियों के उद्यमों के लिये यह सीमा क्रमशः 10 लाख, 2 करोड़ तथा 5 करोड़ है।

पृष्ठभूमि

3.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा संकल्प ए/आरईएस/71/279 के माध्यम से लघु व्यावसाय पहुँच में सुधार की आवश्यकता को पहचानने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस की स्थापना की गई।

3.2 यह संकल्प अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल द्वारा पेश किया गया था तथा राज्यों के 54 सदस्यों द्वारा इसे सह-प्रायोजित भी किया गया था और इसे अप्रैल 2017 में 193 सदस्यीय यूएनजीए द्वारा मतदान के बिना अपनाया गया था।

महत्वपूर्ण बातें

4.1 मंत्रालय ने अपनी 'रणनीतिक कार्य योजना' के तहत एमएसएमई के लिये दिक्कत वाले क्षेत्रों की पहचान को लेकर मुक्त व्यापार समझौते, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौते समेत विभिन्न व्यापार समझौते की विस्तृत जांच-परख करने की सिफारिश की है।

4.2 इस योजना का शीर्षक 'अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ MSME एक्सपोर्ट' है।

4.3 इसमें कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जायेगा ताकि उनकी भूमिका और उद्देश्यों को फिर से परिभाषित किया जा सके।

4.4 यह हमारी विदेश व्यापार नीति के आवश्यक घटक हैं और उनकी क्षमताओं का उपयोग करना जरुरी है।

4.5 इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जायेगा।

4.6 इस पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बारे में भी जानकारी होगी।

4.7 संचालन परिषद के प्रमुख एमएसएमई मंत्रालय के सचिव होंगे और उसके विकास आयुक्त इसके सह-अध्यक्ष होंगे।

4.8 एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई निर्यात संवर्द्धन परिषद, निर्यात विकास प्राधिकरणों इत्यादि के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।

महत्व

5.1 MSME, विकास के लिए प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में मुख्य स्रोत का कार्य करता हैं। यह मुख्यतः सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को साकार करने पर जोर देता है।

5.2 यह सभी के नवाचार, रचनात्मकता और उचित काम को प्रवर्तित करता है। उभरते व्यापारों में बनाए गए पांच नए औपचारिक रोजगारों में से चार एमएसएमई के बीच हैं।

5.3 एमएसएमई श्रमिकों में कमजोर क्षेत्र जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लोगों के बड़े हिस्से को रोजगार देता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई कभी-कभी रोजगार का एकमात्र स्रोत भी होता हैं।

5.4 देश के कुल विनिर्माण में इस क्षेत्र का योगदान 45% है। इसके अलावा, कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40% है।

5.5 वस्तुतः इस क्षेत्र के अंतर्गत 6000 उत्पादों का निर्माण होता है जिनका देश के जीडीपी में 8% का योगदान है।

बच्चों के मौत पर WHO रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 ग्लोबल कोलिजन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार हर साल कोई 30 मिलियन (तीन करोड़) बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है।

1.2 इनमें बहुत छोटे और बीमार बच्चे भी होते हैं जिन्हें जिन्दा रहने के लिए खास देखभाल की आवश्यकता होती है।

1.3 ग्लोबल कोलिजन में यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) शामिल होते है।

रिपोर्ट का शीर्षक

2.1 यह रिपोर्ट 'जीवित रहें और बढ़ें: हर छोटे एवं बीमार नवजात शिशु देखभाल में सुधार' नाम से प्रकाशित की गई है।

2.2 समय से पूर्व पैदा होने वाले बच्चों में कई प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इनमें ज्यादातर समस्याएँ प्रसव के दौरान बच्चों की देखभाल करने की होती है।

यूनिसेफ (UNICEF) के बारे में

3.1 यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसम्बर, 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।

3.2 यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड है जिसकी पूरी दुनिया में कई ब्रांच हैं।

3.3 वर्ष 1953 तक यूनिसेफ का पूरा नाम United Nations International Children's Emergency Fund था। इसकी स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी।

3.4 यूनिसेफ विश्वभर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता एवं संक्रमण से बचाने के लिए कैंपेन चलाती है।

महत्वपूर्ण बातें

4.1 यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यदि नवजात शिशुओं को सही गुणवत्ता की देखभाल मिले तो एक वर्ष में दुनियाभर में लगभग 17 लाख बच्चों को बचाया जा सकता है।

4.2 यूनिसेफ ने कहा कि यदि बच्चों को जन्म से लेकर बड़े होने तक सही देखभाल एवं सुविधाएँ मिले तो वर्ष 2030 तक दुनियाभर में 68 प्रतिशत बच्चों को मरने से बचाया जा सकता है।

4.3 रिपोर्ट में कहा गया कि यदि माँ और बच्चे को जन्म से लेकर एक उचित समय तक सही देखभाल की जाये तथा खान-पान की सुविधा प्रदान की जाये तो विश्वभर के 81 देशों में 2.9 मिलियन महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।

4.4 रिपोर्ट के अनुसार समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में मस्तिष्क की समस्या रहती है, गंभीर जीवाणु संक्रमण या पीलिया जैसे गंभीर बीमारी के कारण मौत तथा अक्षमता का खतरा बना रहता है।

4.5 समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों का वजन कम और वे दुबले-पतले होते हैं जिससे उनमें मृत्यु और विकलांगता का खतरा बना रहता है।

4.6 रिपोर्ट में प्रकाशित आँकड़ो के मुताबिक वर्ष 2017 में 2.5 मिलियन नवजात शिशु जन्म लेने के 28 दिनों में ही मृत्यु हो गयी। इन मरने वाले बच्चों में से 80 प्रतिशत बच्चों का वजन कम था।

भारत की स्थिति

5.1 यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार वैश्विक नवजात मृत्यु की एक चौथाई मौतें भारत में होती हैं, जहाँ हर साल जन्म के 28 दिनों के भीतर लगभग 600,000 नवजात शिशु मर जाते हैं।

5.2 184 देशों में से भारत 25.4 (प्रति हजार) नवजात मृत्यु दर के साथ 31वें स्थान पर है।

5.3 ऐसी मौतें रोके जा सकने एवं उपचार योगय हैं क्योंकि इनमें से 80% मौतें गंभीरता पूर्वक उपचार न होने के कारण होती है।

5.4 हालाँकि नीतिगत मोर्चे पर लिए गए निर्णय जैसे- नगद हस्तानांतरण की शुरूआत, मुफ्त परिवहन सेवाओं का प्रावधान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण संख्यागत प्रसव को 2005 में 39% से बढ़ाकर 2016 में 79% किया जा सका है।

ऑनलाइन फार्मेसी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही मे मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी पर अस्थाई रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये अंतरिम रोक 'केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है।

1.2 एसोसिएशन ने राब और बिना रेगुलेशन के दवा बेचने के दरों के आधार पर कोर्ट से मांग की थी कि ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है।

क्या है

2.1 ई-फॉर्मेसी नई तरह की दुकान है, जिसकी साइट या एप पर जाकर जब आप दवा बुक करेंगे तो आपको सस्ते में, सप्ताह के सातों दिन और किसी भी समय घर पर दवा मिल जायेगी।

2.2 पारंपरिक दवा विक्रेताओं के लिए ये स्थिति मुसीबत खड़ी करने वाली है। ना केवल उनके कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है बल्कि उनका कहना है कि ई फार्मेसी द्वारा भेजी जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है।

क्या हैं ई-फॉर्मेसी के नियम

3.1 डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवा की बिक्री नहीं होगी, शेड्यूल एक्स ड्रग्स की बिक्री नहीं तथा तापरोधी कवर में पंजीकृत फॉर्मासिस्ट की निगरानी में पैकिंग होगी।

3.2 कोई भी कंपनी ई-फॉर्मेसी पोर्टल को बगैर रजिस्टर्ड कराए दवाएँ नहीं बेची जा सकेंगी तथा हर बिक्री का वैध बिल देना होगा।

3.3 जो भी शख्स ई-फॉर्मेसी के बिजनेस में आना चाहेगा, उसे केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के फार्म 18 पर केंद्रीय सरकार के ऑनलाईन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण शुल्क 50 हजार रुपए होगा।

3.4 आवेदन करने वाले को इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को मानना होगा तथा हर रोगी के विवरण को गोपनीय रखना होगा।

3.5 नई ई-फॉर्मेसी फर्म को केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड कराना होगा। ई-फॉर्मेसी फर्म भी राज्य से एक लाइसेंस ले सकती हैं एवं वो इसी लाइसेंस के जरिए सारे देश में दवा बिक्री कर सकती हैं।

3.6 समय समय पर ई-फॉर्मेसी की जांच केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी की टीम करेगी। ई-फॉर्मेसी रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए ही वैद्य होगा, इसके बाद इसका नवीकरण कराना होगा।

3.7 सभी ई-फॉर्मेसी को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन चलने वाले कॉल सेंटर रने होंगे ताकि दवाओं की डिलिवरी समय से हो सके।

खतरे क्या हैं?

4.1 नियमों के अभाव में देश में अवैध ऑनलाइन फार्मेसी बढ़ रही हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र में सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा ऑनलाईन फॉर्मेसी पर छापे डाले और दो करोड़ से ज्यादा की दवाइयाँ जब्त कीं।

सरकार क्या कर रही है?

5.1 हालांकि ऑनलाइन फॉर्मेसी के कोई तय नियम नहीं हैं। अभी ये अपने शुरुआती दिनों में है। कई नियमों के लिए इन्हें रेगुलेट किया जा रहा है। इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रुल्स 1945 के साथ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 भी शामिल है।

5.2 केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2018 को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रुल्स 1945 के तहत एक गाइडलाईन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कोई कैसे ई-फॉर्मेसी का काम शुरू कर सकता है? कैसे उसे पंजीकरण करना होगा एवं कैसे दवा बेचनी होगी।

5.3 हालांकि देश में एक दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां ई फॉर्मेसी के क्षेत्र में कारोबार कर रही हैं। उनका कहना है कि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रुल्स 1945 की शर्तों के आधार पर ही धंधा करते हैं।

5.4 पहले इंडियन इंटरनेट फॉर्मेसी एसोसिएशन (आईआईपीए) नाम से एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम बदलकर अब डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स (डीएचपी) कर दिया गया है।

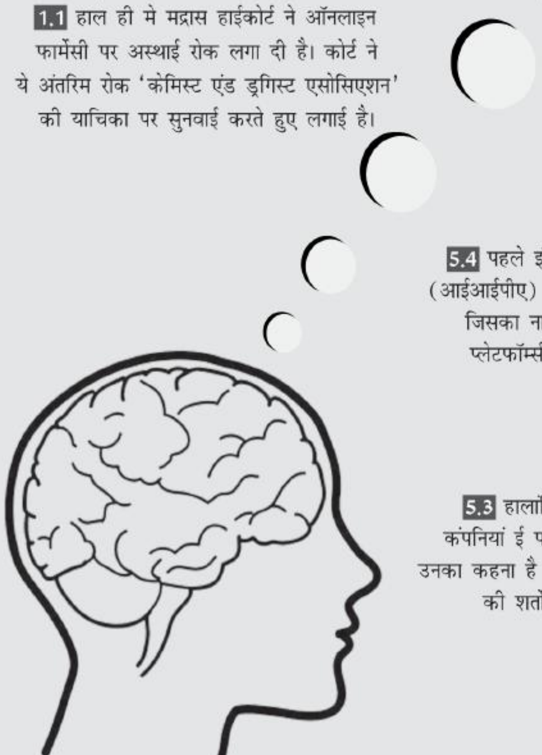

एसएसएलवी (SSLV)

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किए जा रहे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) की डिजाइन तैयार हो गई है। इसरों इस लघु रॉकेट का पहला प्रयोगात्मक प्रक्षेपण अगले छह महीने में करेगा।

1.2 इसरो का यह पहला रॉकेट है, जिसका विकास वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इस रॉकेट के निर्माण की जिम्मेदारी पूरी तरह निजी क्षेत्र के हाथों में होगी।

1.3 इसके ऑपरेशनल होने के बाद इसरो की वाणिज्यिक इकाई अंतरिक्ष कॉरपोरेशन (एंट्रक्स) बड़े पैमान पर वाणिज्यिक करार कर पाएगा।

भारत के लिए महत्वपूर्ण

2.1 उम्मीद है इससे वैश्विक अंतरिक्ष कारोबार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। हर साल 50 से 60 एसएसएलवी लांचिंग का लक्ष्य है जिससे डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपए तक की आय होगी।

2.2 इस रॉकेट को कम लागत में और काफी कम समय में लांचिंग के लिए तैयार किया जा सकेगा।

2.3 एसएसएलवी के ऑपरेशनल होने के लिए दो प्रयोगात्मक उड़ानों की आवश्यकता होगी। इसमें से एक मई-जून के दौरान होगा जबकि दूसरा अक्टूबर 2019 में करने की योजना है।

विशेष

3.1 विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केन्द्र के निदेशक एस. सोमनाथ ने कहा कि एसएसएलवी की डिजाइन तैयार है। लॉच पैड पर यह रॉकेट लगभग 34 मीटर लंबा होगा।

3.2 यह पीएसएलवी से लगभग 10 मीटर और जीएसएलवी पार्क-2 से लगभग 15 मीटर छोटा होगा तथा इसका वजन लगभग 120 टन होगा और यह 500 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा।

3.3 इस उपग्रह को लंबवत और क्षैतिज इंटीग्रेट करने की सुविधा होगी।

3.4 पीएसएलवी और जीएसएलवी के विपरीत इस रॉकेट में तीन ठोस मोटर चरण ही होंगे। पीएसएलवी में ठोस और तरल जबकि जीएसएलवी में ठोस और तरल के साथ क्रायोजनिक चरण भी होता है।

3.5 यह विशेष रूप से छोटे उपग्रहों जैसे कि नैनोसेंट्स और क्यूब्स के लिए होगा। इसे निजी कम्पयुटरों से कहीं भी लान्च किया जा सकता है।

आवश्यकता

4.1 छोटे उपग्रह उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में कई गुना वृद्धि की है तथा दूसरी कई आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

4.2 बड़े उपग्रहों के निर्माण व रखरखाव में आने वाली कठिनाई व अत्यधिक खर्चे से बचा जा सकता है।

4.3 छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को निष्क्रिय करने के अमेरिका द्वारा हाल में लिए गये फैसले ने इन उपग्रहों की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है।

4.4 यह भारत में किफायती लॉन्च विकल्प प्रदान करेगा और राजस्व को बढ़ावा देने मे मदद करेगा।

4.5 अगले दशक में 6200 से अधिक छोटे उपग्रहों को विभिन्न देशों द्वारा लॉन्च किये जाने की उम्मीद है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 30 बिलियन डॉलर है।

एंट्रिक्स के बारे में

5.1 एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा है और अन्य कंपनियों तथा निजी संस्थाओं के उपग्रहों को लॉन्च करके अपना राजस्व अर्जित करता है।

5.2 पिछले तीन वर्षों में एंट्रिक्स ने व्यावसाकि गतिविधियों के माध्यम से 5600 करोड़ रुपये कमाएँ हैं, जिसमें वाणिजिक उपग्रह और रिमोट सेंसिग सेवाएं शामिल हैं।

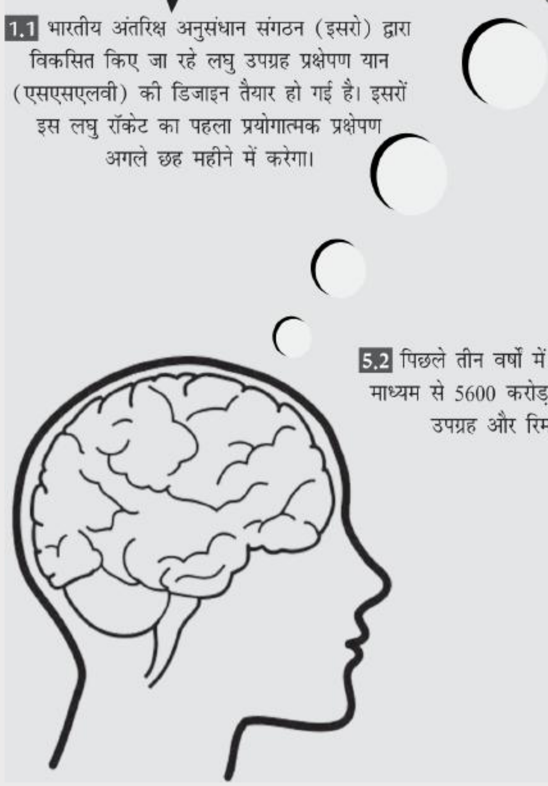

राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग-2018

चर्चा का कारण

1.1 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए। यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है।

पृष्ठभूमि

2.1 औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग जनवरी 2016 से राज्यों में स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा करता आया है।

2.2 इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य था राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन देना। इसके लिए क्षमता विकास पर विशेष बल दिया गया है।

2.3 इसका एक अन्य उद्देश्य देश में सहयोगात्मक संघीयता की भावना को आगे बढ़ाना भी है।

2.4 इसके लिए जिन तरीकों को अपनाया गया है, उनका लक्ष्य है राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना और उन्हें अच्छी-अच्छी प्रथाओं को सीखने, अपनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

3.1 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 51 अधिकारियों को 'चैंपियन' के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपने राज्यों की स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3.2 इस पूरी प्रक्रिया में 27 राज्यों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। मूल्यांकन समिति में स्टार्ट-अप इको प्रणाली से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों को रखा गया था, जिन्होंने विभिन्न मानकों के ऊपर सभी राज्यों का मूल्यांकन किया। कई मानक लाभार्थियों के फीडबैक से संबंधित भी थे।

3.3 स्टार्ट-अप नए विचारों से लैस होते हैं और ये देश की सामाजिक, कृषि और सेवा क्षेत्र की समस्याएं हल करने में सक्षम होते हैं।

3.4 इस रैंकिंग से राज्यों को स्टार्ट-अप हेतु प्रोत्साहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने में मदद मिलेगी। इस रैंकिंग का आधार राज्यों द्वारा स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने के लिए किए गए प्रयास हैं।

विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का आकलन

4.1 स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि।

4.2 इन श्रेणियों में किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है।

स्टार्ट-अप रैंकिंग

5.1 शानदार प्रदर्शन- गुजरात

5.2 बेहतरीन प्रदर्शन- कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान

5.3 मार्गदर्शक- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना

5.4 आकांक्षी मार्गदर्शक- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल

5.5 पर्वतीय राज्य- असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड

5.6 आरंभकर्ता- चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पुदुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सतत् विकास लक्ष्य सूची–2018

प्र. सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूची-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. एसडीजी भारत सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है।
2. सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तीन अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश है।
3. जो राज्य सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे खराब स्थिति में हैं, वे झारखण्ड, ओडिया और नागालैण्ड हैं।
4. सतत् विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किये गये महत्वाकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है, जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 व 4 (d) इनमें से सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तीन अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु हैं। इस तरह कथन 2 गलत है। इसके अलावा दिए गए सभी कथन सभी है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

2. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008

प्र. प्र. दिये गये कथनों में से गलत कथन का चयन करें-

(a) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में कुल 52 धाराएँ है जिसमें हर पक्ष को शामिल किया गया है।
(b) इस अधिनियम के सेक्शन 75ए में गोपनीयता भंग करने पर दण्ड का उल्लेख किया गया है।
(c) इस अधिनियम के तहत गैर कानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के विश्वसनीय फ्लैगर्स की तैनाती का प्रावधान है।
(d) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2008, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पैसे का लेन देन, ई-प्रशासन के साथ ही कम्प्यूटर से जुड़े अपराधों को ध्यान में रखकर लाया गया था।

उत्तरः (b)

व्याख्याः आईटी एक्ट के संशोधन में कुल 52 धाराएँ है, जिसमें हर पक्ष को शामिल किया गया है। इस संशोधन के दौरान यह भी ध्यान रखा गया है कि यह यूनाइटेट नेशन्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ला (UNCITRAL) के अनुरूप भी हो। इस अधिनियम के सेक्शन 72ए (न कि 75 ए) में गोपनीयता भंग करने पर दण्ड का उल्लेख किया गया है। इस तरह कथन (b) गलत है अतः उत्तर (b) होगा। ■

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संदर्भ में कूट की सहायता से गलत कथन का चयन करें-

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMES) वस्तुतः छोटे आकार के ऐसे उद्यम हैं, जिन्हें उनमें होने वाले निवेश के आकार से परिभाषित किया जाता है।
2. भारत सरकार ने वर्ष 2008 में एक कानून पारित किया था, जिसे वर्ष 2008 में ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम'' के नाम से अधिसूचित किया गया है।
3. इस अधिनियम के अनुसार निवेश की सीमा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 25 लाख से नीचे, लघु उद्यमों के लिए 35 लाख से 5 करोड़ तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच है।
4. रेखा क्षेत्र में संलग्न इन तीनों श्रेणियों के उद्यमों के लिए यह सीमा क्रमशः 10 लाख, 2 करोड़ तथा 5 करोड़ है।

कूटः

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3 और 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत सरकार ने वर्ष 2006 में एक कानून पारित किया था, जिसे वर्ष 2006 में ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम'' के नाम से अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार निवेश की सीमा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 25 लाख से नीचे, लघु उद्योगों के लिए 25 लाख से 5 करोड़ तथा मध्यम उद्योगों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

4. बच्चों के मौत पर डब्ल्यूएचओ (WHO) रिपोर्ट

प्र. हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 30 मिलियन (तीन करोड़) बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है।

2. रिपोर्ट में प्रकाशित आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में 2.5 मिलियन नवजात शिशु जन्म लेने के 28 दिनों के भीतर ही मृत्यु हो गयी।
3. रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवजात मृत्यु की एक चौथाई मौतें भारत में होती हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष जन्म के 28 दिनों के भीतर लगभग 600,000 नवजात शिशु मर जाते हैं।
4. 184 देशों में से भारत 24.4 (प्रति हजार) नवजात मृत्यु दर के साथ 31वें स्थान पर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं।

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः ग्लोबल कोलिजन (यूनिसेफ तथाा डब्ल्यूएचओ) रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 30 मिलियन (तीन करोड़) बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है। यह रिपोर्ट 'जीवित रहें और बढ़ें: हर छोटे एवं बीमार नवजात शिशु देखलाभ में सुधार' नाम से प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

5. ऑनलाइन फार्मेसी

प्र. ऑनलाइन फार्मेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. ई-फार्मेसी वो नई तरह की दुकान है, जिसकी साइट या एप पर जाकर जब दवा बुक किया जाएगा, तो दवा कम पैसे में, सप्ताह के सातों दिन तथा हर समय प्राप्त हो जाएगी।
2. ई-फार्मेसी नियम के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय में आना चाहेगा, उसे केन्द्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के फार्म 18 पर केन्द्रीय सरकार के ऑनलाइन पोटर्ल के जरिये आवेदन करना होगा।
3. ई-फार्मेसी फर्म को सिर्फ केन्द्र सरकार ही लाइसेंस दे सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी (ई-फार्मेसी) पर अस्थाई रोक लगा दी है। ई-फार्मेसी फर्म राज्य से एक लाइसेंस ले सकती हैं एवं वो इसी लाइसेंस के जरिये सारे देश में दवा बिक्री कर सकती है। इस तरह कथन 3 गलत है। अतः उत्तर (c) होगा। ■

6. एसएसएलवी (SSLV)

प्र. एसएसएलवी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) एसएसएलवी, पीएसएलवी से लगभग 10 मीटर और जीएसएलवी पार्क-2 से लगभग 15 मीटर छोटा होता होगा।
(b) एसएसएलवी का वजन लगभग 150 टन होगा और यह 1000 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा।
(c) इस उपग्रह को लंबवत और क्षैतिज प्रक्षेपित करने की सुविधा होगी।
(d) अगले दशक में 6200 से अधिक छोटे उपग्रहों को विभिन्न देशों द्वारा लॉन्च किये जाने की उम्मीद है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 30 बिलियन डॉलर है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः एसएसएलवी का वजन लगभग 120 टन होगा और यह 500 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। इस तरह कथन (b) गलत है। इसरो द्वारा इसकी डिजाइन तैयार हो गई है तथा इसका पहला प्रयोगात्मक प्रक्षेपण अगले छह महीने में किया जाएगा।■

7. राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग-2018

प्र. स्टार्ट-अप रैंकिंग-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. स्टार्ट-अप रैंकिंग-2018 के परिणाम को केंद्रीय ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
2. इस रैंकिंग के अनुसार शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है, जबकि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान हैं।
3. इस रैंकिंग का आधार राज्यों द्वारा स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने के लिए किये गये प्रयास हैं।
4. इस रैंकिंग के अनुसार आरंभकर्त्ता राज्यों में चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पुडुचेरी, सिक्किम तथा त्रिपुरा को रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं।

(a) केवल 1 व 4 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 2 व 4 (d) 2, 3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग-2018 के परिणामों की घोषणा की है न कि केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय। यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (d) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में, कौन–सा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है?

–एचडीएफसी ग्रुप

2. हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है?

–फिलिस्तीन

3. हाल ही में भारत ने किस देश की पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है?

–भूटान

4. हाल ही में चीन के किस नेविगेशन प्रणाली ने वैश्विक सेवाएँ शुरू की है?

–बेदोउ

5. हाल ही में असम के चिरांग जिले में किस नदी के किनारे दविजिंग उत्सव की शुरुआत हुई?

–आई नदी

6. हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है?

–खालिस्तान लिबेरेशन फोर्स

7. हाल ही में किस राज्य ने 'कुनो' को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है?

–मध्य प्रदेश

सात महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज

1. किसानों को जहरीले कीटनाशकों से बचाने वाला जैल

- किसानों द्वारा खेतों में रसायनों का छिड़काव करते समय कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाने से उनको विषैले कीटनाशकों का शिकार बनना पड़ता है।
- इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने त्वचा पर लगाने वाला "पॉली-ऑक्सीम" नामक एक सुरक्षात्मक जैल बनाया है, जो जहरीले रसायनों को ऐसे सुरक्षित पदार्थों में बदल देता है, जिससे वे मस्तिष्क और फेफड़ों जैसे अंगों में गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं।
- शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मुखौटा विकसित करने की योजना बनाई है जो कीटनाशकों को निष्क्रिय कर सकता है।

2. उत्कृष्ट तकनीक से बना दुनिया का सबसे पतला पदार्थ

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने नैनो तकनीक की मदद से एक ऐसा पतला पदार्थ बनाया है, जो कागज के एक पन्ने से भी एक लाख गुना पतला है।
- उन्होंने मैग्नीशियम डाइबोराइड नामक बोरॉन यौगिक द्वारा सिर्फ एक नैनोमीटर (मनुष्य के बाल की चौड़ाई लगभग 80,000 नैनोमीटर होती है) मोटाई वाला एक द्विआयामी पदार्थ तैयार किया है।
- इसे दुनिया का सबसे पतला पदार्थ कहा जा सकता है।
- इसका उपयोग अगली पीढ़ी की बैटरियों से लेकर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली फिल्मों के निर्माण में किया जा सकता है।

3. जीका, डेंगू, जापानी एन्सेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया से निपटने के लिए की गईं नई खोजें

- हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) के वैज्ञानिकों ने शिशुओं में माइक्रोसिफेली या छोटे सिर होने के लिए जिम्मेदार जीका वायरस की कोशिकीय और आणविक प्रक्रियाओं का पता लगाया है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि जीका वायरस के आवरण में मौजूद प्रोटीन मनुष्य की तंत्रिका स्टेम कोशिकाओं की वृद्धि दर को प्रभावित करता है और दोषपूर्ण तंत्रिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है।
- एक अन्य शोध में फरीदाबाद स्थित रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक प्रमुख प्रोटीन की पहचान की है, जो एंटी-वायरल साइटोकिन्स को अवरुद्ध करके डेंगू और जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस को बढ़ने में मदद करता है।
- यह खोज डेंगू और जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए प्रभावी दवा बनाने में मददगार हो सकती है।
- इसी तरह, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के शोधकर्ताओं ने चिकनगुनिया का पता लगाने के लिए मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड नैनोशीट की मदद से एक बायोसेंसर विकसित किया है।

4. अल्जाइमर और हंटिंगटन के इलाज की नई आशा

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार उन शुरुआती लक्षणों का पता लगाया है, जिससे याददाश्त कम होने लगती है।
- उन्होंने पाया है कि मस्तिष्क में फाइब्रिलर एक्टिन या एफ-एक्टिन नामक प्रोटीन के जल्दी टूटने से तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार में व्यवधान होता है और इसके परिणामस्वरूप स्मृति की कमी हो जाती है।
- इस शोध का उपयोग भविष्य में रोग की प्रारंभिक जांच परीक्षण विधियाँ विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- फल मक्खियों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में, दिल्ली विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी विभाग के शोधकर्ताओं ने पाया है कि मस्तिष्क की न्यूरोनल कोशिकाओं में इंसुलिन सिग्नलिंग को बढ़ाकर हंटिंग्टन रोग का बढ़ना रोका जा सकता है।

5. तपेदिक की शीघ्र पहचान करने वाली परीक्षण विधि

- ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों और उनके आसपास की झिल्ली में क्षयरोग संक्रमण के परीक्षण के लिए अत्यधिक संवेदनशील, अधिक प्रभावी और तेज विधियां विकसित की हैं।
- बलगम के नमूनों में जीवाणु प्रोटीन का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी आधारित वर्तमान विधियों के विपरीत इन नयी विधियों में बलगम में जीवाणु प्रोटीन का पता लगाने के लिए एपटामर लिंक्ड इमोबिलाइज्ड सॉर्बेंट एसे (एलिसा) और इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर (ईसीएस) का उपयोग होता है।

6. वैज्ञानिकों ने सिल्क पॉलीमर से विकसित की कृत्रिम कशेरुकीय डिस्क

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने सिल्क-आधारित एक ऐसी कृत्रिम जैव डिस्क बनाई है, जिसका भविष्य में डिस्क रिप्लेसमेंट थेरेपी में उपयोग किया जा सकता है।
- इसके लिए एक डायरेक्शल फ्रीजिंग तकनीक द्वारा सिल्क-आधारित कृत्रिम जैव डिस्क के निर्माण की प्रक्रिया विकसित की गई है।
- यह डिस्क आंतरिक रूप से हूबहू मानव डिस्क की तरह लगती है और उसकी तरह ही काम भी करती है।
- एक जैव अनुरुप डिस्क को बनाने के लिए सिल्क बायो पॉलीमर का उपयोग भविष्य में कृत्रिम डिस्क की लागत को कम कर सकता है।

7. प्लास्टर ऑफ पेरिस से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाली हरित तकनीक

- पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर -एनसीएल) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पर्यावरण हितैषी तकनीक विकसित की है, जो किफायती तरीके से अस्पतालों से प्लास्टर ऑफ पेरिस अपशिष्टों को पुनर्चक्रित करने में मदद करती है।
- इस तकनीक की सहायता से अपशिष्ट को असंक्रमित करके उससे अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसे उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
- नदियों एवं अन्य जलाशयों में विसर्जित की जाने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को विघटित करने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। इस संदर्भ में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संभावनों की समीक्षा करते हुए उसमें उत्पन्न चुनौतियों की भी चर्चा करें।

2. भारत क्षेत्रीय-एकीकरण के संदर्भ में राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय-एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के सम्मुख प्रस्तुत संरचनात्मक बाधाओं की चर्चा करें।

3. सहानुभूति का अर्थ स्पष्ट करें। वर्तमान समय में 'सहानुभूति' के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार कारकों की चर्चा करें।

4. ई-वेस्ट (e-waste) क्या है? भारत में बढ़ते ई-वेस्ट संकट के निराकरण के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा करें।

5. जैन धर्म के त्रिरत्नों को बताते हुए वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।

6. प्रवाल क्या होते हैं? इनके विकास के लिए अनुकूल दशाएँ बताते हुए इनके महत्व को समझाइए।

7. उद्देशिका में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

Date	Test	Topics
02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)	Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)	Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)	World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)	Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh
13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)	Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-I) Full Test
	Test-11 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-II) Full Test
	Test-13 - (3:30pm-6:30pm)	Essay
17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-III) Full Test
	Test-15 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-IV) Full Test
	Test-17 - (3:30pm-6:30pm)	Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए** **9205336039** **पर** **"Hi Dhyeya IAS"** **लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400